दिनांक 16 जनवरी, 2015 को जिला परिषद्, कुल्लू की त्रैमासिक बैठक मान्नीय अध्यक्ष श्री हरि चन्द शर्मा, जी, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, की कार्यवाही निम्न प्रकार से हैः–

सर्वप्रथम मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित होने पर श्री कर्ण सिंह, मान्नीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र, बन्जार, उपाध्यक्षा जिला परिषद व समस्त सदस्यों एवं पुलिस अधिक्षक तथा अधिकारीगण का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, जिला परिषद द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

गत बैठक कार्यवाही की अभिपुष्टिः–

प्रस्ताव संख्याः– 11/दिनांक 01.08.2011
श्रीमती प्रेमलता, मान्नीय सदस्या जिला परिषद् कुल्लू
1.लगवैली, दलीघाट सड़क का कार्य पूर्ण करने बारेः–

मान्नीय सदस्या द्वारा विभाग के गत वर्षों में किए गए कार्यों की सराहना की तथा यह भी अवगत करवाया गया कि भूमतीर सड़क के कार्य को पूर्ण करने का आश्वासन विभाग द्वारा दिनांक 30.11.2013 से दिया जा रहा है तथा गत बैठक में इसे विभाग के आश्वासन पर समाप्त भी किया गया जबकि कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। जिस पर विभाग द्वारा पुनः आश्वासन दिलाया गया कि यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा।

2. कोलीबेहड़ बनोगी सड़क का कार्य करने बारेः–

सदन में अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया है कि कोलीबेहड़ बनोगी सड़क (शुरू से 6 कि0मी0) तक 24.09.2014 को पास करवा दी गई है। **अतः मान्नीय सदस्य की सहमति से कोलीबेहड़ बनोगी सड़क के कार्य के प्रस्ताव संख्या 02 को सर्वसम्मति से समाप्त किया गया।**

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण प्रथम / अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वितीय)

प्रस्ताव संख्याः–24/दिनांक 01.08.2011
समस्त पदाधिकारीगण
जिला परिषद् कार्यालय में दो अतिरिक्त सेवादार के पद स्वीकृत किए जाने बारेः–

जिला परिषद सदन द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सेवादार के नए पद स्वीकृत करने हेतू निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला से प्रस्ताव के माध्यम से पुनः अनुरोध किया गया है कि कार्यालय में एक सेवादार होने के कारण कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है। क्योंकि जिला परिषद कार्यालय में कार्यरत सेवादार छुट्टी

इत्यादि पर जाने से जिला परिषद कार्यालय में कोई अन्य सेवादार नहीं होता है। अतः जिला परिषद कार्यालय कार्य हेतू 2 अतिरिक्त सेवादार के पद स्वीकृत किए जाएँ ताकि कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

(सम्बन्धित विभागः– निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9)

प्रस्ताव संख्या :–17/दिनांक 19.3.2012
<u>13वां वितायोग के अन्तर्गत जिला परिषद भवन की दूसरी मंजिल में रेस्ट हाउस का निर्माण करने बारेः–</u>

दिनांक 08 अक्तूबर 2014 को मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय के कर कमलों द्वारा व मान्नीय पंचायती राज मंत्री की उपस्थिति में जिला परिषद विश्राम गृह का उद्घाटन किया गया। **अतः प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समाप्त किया जाता है।**

(सम्बन्धित विभागः– कार्यालय जिला परिषद)

प्रस्ताव संख्या 12/दिनांक 27.6.2012
श्री हरि चन्द शर्मा, अध्यक्ष, जिला परिषद्
<u>अग्नि शमन केन्द्र खोलने बारेः–</u>

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा समस्त विधायकगणों से तथा उपायुक्त महोदय कुल्लू एवं कुल्लू जिले में चल रही पन विद्युत परियोजनाओं से अनुरोध करते हुए अवगत करवाया गया कि विकास खण्ड नगर के पतलीकुहल, विकास खण्ड बन्जार, आनी तथा निरमण्ड में अग्नि शमन केन्द्र न होने के कारण आग लगने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है जबकि इन क्षेत्रों में अधिक आबादी होने के कारण भी यहाँ पर अग्नि शमन केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं। जब भी इन क्षेत्रों में किसी घर में आग लगती है तो आस–पास के सभी घरों को जला देती है।

उपायुक्त महोदय एवं अध्यक्ष लाडा कुल्लू द्वारा अवगत करवाया गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा अगर अग्निशमन केन्द्र की स्वीकृति के उपरान्त महा निदेशक (आरक्षी)–एवं–निदेशक अग्निशमन द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो लाडा के जिला एवं खण्ड स्तरीय बजट से अग्निशमन वाहन खरीदने एवं भवन निर्माण के लिये राशी उपलब्ध करवाई जा सकती है। इस प्रस्ताव को लाडा की आगामी बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

आदेशक गृह रक्षा सातवीं वाहिनीं कुल्लू हि0प्र0 ने अवगत करवाया है कि दमकल चौकी बन्जार स्थित लारजी स्थापित करने के आदेश दिए गए हैं तथा मान्नीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बन्जार श्री कर्ण सिंह जी से दमकल चौकी को स्थापित करने बारे स्थान की व्यवस्था तथा फायर टैण्डर और दो जीप ईंजन उपलब्ध करवाने बारे निवेदन किया गया है इसलिए जैसे ही दमकल चौकी के लिए एक फायर टैण्डर दो जीप ईन्जन तथा आवासीय व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी तो फायर कर्मचारियों को दमकल चौकी बन्जार स्थित लारजी में तुरन्त तैनात कर दिया जाऐगा।

इसके अतिरिक्त अन्य स्थान पर दमकल चौकी खोलने बारे अभी तक इस कार्यालय को कोई भी आदेश विभाग/हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुये हैं।

मुख्य अभियन्ता, महाप्रबन्धक कार्यालय पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण–2 ने अवगत करवाया है कि पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण–2 के द्वारा एल0ए0डी0एफ0 के अन्तर्गत जमा कराई गई धनराशि में से अग्निशम केन्द्र

खोलने का अनुरोध किया गया है तथा परियोजना के पास इस योजना हेतू बजट का कोई प्रावधान नहीं है जिला परिषद के आदेशानुसार एल0ए0डी0सी0 की बैठक में इस योजना हेतू बजट का प्रावधान करवाने हेतू चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

ए0डी0हाईड्रो परियोजना ने अवगत करवाया है कि परियोजना द्वारा सरकार को केवल अग्निशमन वाहन की आपूर्ति बारे में आश्वासन दिया गया था तथा परियोजना प्रबन्धन ने किसी भी प्रस्तावित अग्निशमन सेवा केन्द्र को स्थापित करने के बारे में किसी भी मंच से कोई आश्वासन कभी भी नहीं दिया है। इस सन्दर्भ में परियोजना द्वारा मुख्यशमन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश–शिमला को भी दिनांक 18.2.2014 के पत्र द्वारा सूचित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त दिनांक 25. 11.2013 को हुई जिला परिषद की बैठक में भी परियोजना ने सदन को आश्वासन दिया था कि अग्निशमन केन्द्र नगर में खोलने का प्रबन्ध यदि सरकार करे तो परियोजना द्वारा वाहन का प्रबन्ध किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा एलायन दुहांगन को निर्देश दिए गए कि वे उपरोक्त आश्वासन अनुसार वाहन का प्रबन्ध करें जब तक नगर में अग्निशमन केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ नहीं किया जाता है तो तब तक इस वाहन को अग्निशमन केन्द्र मनाली में प्रयोग हेतू रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में अग्नि शमन केन्द्र कुल्लू से सम्पर्क करें कि, किस प्रकार का वाहन आप द्वारा विभाग को उपलब्ध करवाना है तथा अग्नि शमन केन्द्र कुल्लू के अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे 10 व 15 दिनों में परियोजना को वाहन सम्बन्धि रिर्पोट प्रेषित करें ताकि परियोजना द्वारा वाहन उपलब्ध करवाया जा सके।

इसके अतिरिक्त अन्य समस्त परियोजनाओं को निर्देश दिए गए कि वे भवन निर्माण हेतू व वाहन हेतू एल0ए0डी0सी0 के बजट से प्रावधान करवाने हेतू उपायुक्त महोदय से चर्चा करें तथा बैठक में लिए गए निर्णय की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

श्री कर्ण सिंह, मान्नीय विधायक महोदय द्वारा सदन को आश्वासन दिलाया गया कि स्थान व स्टाफ का प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जाएगा। अग्नि शमन केन्द्र भवन तथा आग बुझाने के वाहन के लिए बजट का प्रावधान एल0ए0डी0सी0 से करवाया जाए।

अतः सदन द्वारा श्री कर्ण सिंह, मान्नीय विधायक महोदय, बन्जार क्षेत्र, श्री खूब राम, मान्नीय विधायक महोदय, विधान सभा क्षेत्र आनी एवं श्री महेश्वर सिंह, मान्नीय विधायक महोदय, विधान सभा क्षेत्र कुल्लू एवं श्री गोविन्द ठाकुर महोदय, मान्नीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र मनाली से अनुरोध किया गया कि वे इस प्रस्ताव को विधान सभा के सम्ममुख रखे ताकि जिला कुल्लू में विकास खण्ड बन्जार, आनी, निरमण्ड तथा नगर में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित करवाएँ जा सके।

सदन में उपायुक्त महोदय से अनुरोध किया गया कि वे शीघ्र ही एल0ए0डी0सी0 की बैठक में खण्ड स्तरीय बजट से अग्निशमन वाहन खरीदने एवं भवन निर्माण के लिये बजट का प्रावधान करवाए तथा स्थान व स्टाफ के लिए मान्नीय विधायक महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है।

अतः मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध है कि वे जिला कुल्लू की इस समस्या को गम्भीरता से लेने की कृपा करें । जिला परिषद कुल्लू द्वारा वर्ष 2012 से यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि जिला कुल्लू के नगर स्थित पतलीकुहल में तथा विकास खण्ड बन्जार, आनी तथा निमण्ड में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित करने हेतू सम्बन्धित विभागों को आगामी कार्यवाही के आदेश देने की अनुकम्पा करें ताकि जिला कुल्लू की इस समस्या को समय पर सुलझाया जा सके।

(सम्बन्धित विभागः– मान्नीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –02/
अध्यक्ष, एल0ए0डी0सी0 एवं उपायुक्त कुल्लू/

समस्त छः विद्युत परियोजनाएँ जिला कुल्लू/आदेशक गृह रक्षा सातवीं वाहिनी कुल्लू /
स्टेशन फायर आफिसर, फायर स्टेशन कुल्लू हि0प्र0)

प्रस्ताव संख्याः– 18/दिनांक 27 जून, 2012
श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य जिला परिषद
भून्तर से मनीकर्ण–बरशैणी–नकथान सड़क को सैन्ट्रल रिजर्व फडिग के तहत डवललेन स्ट्रैचनिग करने बारेः–

भून्तर से मनीकर्ण–बरशैणी–नकथान सड़क मनीकर्ण घाटी की एक सड़क है। यहाँ पर मनीकर्ण, खीरगंगा गर्म पानी के चश्में हैं जहाँ प्राकृतिक तौर पर आनाज़ पक्ता है। जहाँ गुरूद्वारा, राममन्दिर व धार्मिक पर्यटक स्थल हैं। इसके साथ घाटी में 40 हजार के लगभग आवादी रहती है। मनीकर्ण से बरशैणी तक एन0एच0पी0सी0 का रोड़ है को भी पी0डब्लयू0डी0 टेक ओवर करें तथा भून्तर से नकथान तक इस सड़क को पी0डब्लयू0डी0 सेन्ट्रल रिजर्व फडिंग स्कीम में डालकर शीघ्र इसकी डवललेन, स्ट्रैयनिंग करवाएँ ताकि जनता की प्रतिदिन 4–4 घण्टे के जाम से राहत मिल सके।

सदन में सचिव जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक 25 नवम्बर, 2013 की बैठक में प्राप्त उतर अनुसार संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला द्वारा अवगत करवाया गया है कि इस सम्बन्ध में इनके कार्यालय पत्र संख्या दिनांक 16.11.2013 द्वारा इन्होंने मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला 171002 को आगामी कार्यवाही हेतू निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में मान्नीय सदस्य द्वारा रोष प्रकट करते हुए अवगत करवाया गया कि जब कि सरकार द्वारा भी विभाग को निर्देश दिए गए हैं तो फिर कार्य में बाधा क्यों हो रही है ?

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला 171002 से सदन द्वारा प्रस्ताव द्वारा अनुरोध किया गया कि उपरोक्त योजनाओं को निर्माण कार्य होना अति आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में आगामी निर्देश विभाग को देने की कृपा करें। सदन में विस्तृत चर्चा उपरान्त मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे अपने मुख्य कार्यालय के समक्ष इस मामले का उठाए ताकि भून्तर से मनीकर्ण–बरशैणी–नकथान सड़क को सैन्ट्रल रिजर्व फंडिग के तहत डवललेन स्ट्रैचनिग की जा सके।

अतः पुनः मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव में दी गई योजनाओं के निर्माण कार्य को करने के आदेश सम्बन्धित विभाग को देने की अनुकम्पा करें।

(सम्बन्धित विभागः–मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार एवं लोक निर्माण विभाग मन्त्री/
संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला/
मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला 171002)

प्रस्ताव संख्याः– 20/दिनांक 27 जून, 2012
अध्यक्ष जिला परिषद्
स्ट्रीट लाईटें लगाने बारेः–

अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला परिषद द्वारा प्राप्त सभी योजनाओं को जिनकी औपचारिकतायें पूर्ण थी हिम ऊर्जा मुख्यालय शिमला को आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित किया जा चुका है।

ग्राम पंचायत पिछलीहार, ब्राहम्ण, भूमतीर , भढ़ाई में सौर गली रोशनियॉ स्थापित करने के सम्बन्ध में अवगत करवाया जाता है कि इन कार्यों के लिए बजट का प्रावधान नहीं है। इस कार्य के लिए मु0 19117/–रूपये की धनराशी का प्रावधान किया जाए।

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि जिनकी औपचारिकताएँ पूर्ण थी, उन योजनाओं के सम्बन्ध में शीघ्र अति शीघ्र कार्यवाही करें।

(सम्बन्धित विभागः–परियोजना अधिकारी, हिम उर्जा कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः– 03 /दिनांक 26.11.2012
श्री दिनेश सेन मान्नीय सदस्य जिला परिषद्
कोठी फण्ड के सम्बन्ध में जानकारी देने बारेः–

वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक 27.01.2015 को 11:00 बजे बचत भवन में उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें जिला परिषद द्वारा बनाएँ गए कमेटी सदस्य श्री हरि चन्द शर्मा, अध्यक्ष जिला परिषद्, श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद, श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद, श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, रेशमा ठाकुर मान्नीय सदस्य जिला परिषद्, श्री बुद्वि सिंह, सदस्य जिला परिषद, श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य जिला परिषद्, श्रीमती रेशमा, सदस्य जिला परिषद तथा श्री हितेश्वर सिंह, सदस्य जिला परिषदों द्वारा बैठक में भाग लिया गया।

(सम्बन्धित विभागः–वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः– 03/दिनांक 06.03.2013
अध्यक्ष/ उपाध्यक्षा जिला परिषद्/ प्रेमलता ठाकुर, मा्नीय सदस्या जिला परिषद्/ दिनेश सेन व श्री बुद्वि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद
ख. अलेऊ, ब्राण, जटेहड़, पनारसा, छाकी, राष्ट्रीय उच्च मार्ग की मुरम्मत करने बारे तथा टनल में बिजली की रोशनी की मात्रा बढ़ाने बारे तथा भून्तर पुल का निर्माण शीध्र करने बारेः–

अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पण्डोह ने अवगत करवाया है कि अलेऊ, सड़क के टेन्डर किए जा चुके हैं तथा कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा। ब्राण, पनारसा, छाकी स्थान पर सड़क मुरम्मत का कार्य जैसे कि पैच वर्क कर दिया गया है तथा पनारसा के निकट क्षतिग्रस्त सड़क का प्राक्कलन स्वीकृति हेतू भेजा गया है तथा स्वीकृति अभी तक नहीं आई है तथा इस स्थान पर क्रेट वॉल का कार्य टेंडर ठेकेदार को दे दिया गया है तथा ठेकेदार के द्वारा इस कार्य को शीघ्र ही कर दिया जाएगा। जोगणी माता के समीप जिस जगह पर कुछ समय पूर्व जीप, व्यास में गिरी थी उस स्थान पर इस कार्यालय के द्वारा क्रेश बैरियर लगाए गए है तथा शेष स्थानों पर पैरापीट लगाने का टेंडर ठेकेदार को दिया गया है। जहॉ तक ब्राण की बात है उसका प्राक्कलन जोकि सड़क सुरक्षा के तहत आता है उस प्राक्कलन जोकि सड़क सुरक्षा के तहत आता है उस प्राक्कलन को स्वीकृति हेतू मन्त्रालय को इनके कार्यालय द्वारा स्वीकृति हेतू भेज दिया है। जैसे ही बजट का प्रावधान होगा कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा।

भून्तर पुल की डी0पी0आर0 बनाई जा रही है। डी0पी0आर0 को बनाकर स्वीकृति हेतू मन्त्रालय को भेजा जाएगा तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् जल्दी ही कार्य आरम्भ किया जाएगा।

सदन में श्री कर्ण सिंह, मान्नीय विधायक महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि लारजी परियोजना द्वारा बनाई गई टनल का असुरक्षित घोषित किया गया है तथा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पुरानी सड़क की भी मुरम्मत की जाएगी जिससे कि वाहन उस सड़क से होते हुए जाएँ और यह सड़क सुरक्षित भी है।

पुलिस अधिक्षक महोदय द्वारा भी अवगत करवाया गया कि जिला कुल्लू की सड़कों पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो कि दुर्घटना की दृष्टि से अति संवेदनशील है जिस कारण पुलिस विभाग द्वारा कुछ स्थानों को चिन्हित भी किया गया है। जिस पर जिला परिषद सदन द्वारा पुलिस अधिक्षक महोदय से लिस्ट प्रेषित करने हेतू आग्रह किया गया।

(सम्बन्धित विभागः– पुलिस अधिक्षक महोदय)

उपाध्यक्षा जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि जटेहड़ का कार्य किया गया है तथा ब्राण का कार्य अभी नहीं हुआ। इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।

मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक निर्माण विभाग प्रथम व द्वितीय तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग को निर्देश दिए गए कि वे उपरोक्त कार्यों को शीघ्र पूरा करें तथा इसके अतिरिक्त परियोजना लारजी को निर्देश दिए गए कि वे टनल में विद्युत सम्बन्धित समस्या का समाधान भी शीघ्र कर इस कार्यालय को अवगत करवाए।

इसके अतिरिक्त सदन में एन0एच0आई0 को निर्देश दिए गए कि वे फोर लेन सड़क की जिला कुल्लू से सम्बन्धित समस्त जानकारी से जिला परिषद सदन को अवगत करवाएँ।

(सम्बन्धित विभागः–एन0एच0आई0 विभाग/
अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पण्डोह मण्डी /
अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल प्रथम/
अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल द्वितीय/
प्रबन्धक, लारजी विद्युत परियोजना, बन्जार)

प्रस्ताव संख्याः– 12/दिनांक 06.03.2013
समस्त पदाधिकारीगण
<u>13वां वितायोग के निर्माण कार्य आरम्भ पूर्व कार्य योजना स्थल पर जिला परिषद का बोर्ड लगाने बारेः–</u>

खण्ड विकास अधिकारी नगर ने अवगत करवाया है कि सभी ग्राम पंचायतों को आदेश दिए गए हैं व सभी कार्य स्थलों पर कार्य पूर्ण होने उपरान्त बोर्ड लगाए जा रहे व पूर्ण हुए कार्य की छाया चित्र बोर्ड सहित पंचायतों से प्राप्त हो रहे हैं जो कि सभी आपके कार्यालय भेजे भी जा रहे हैं।

खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू, द्वारा अवगत करवाया गया कि 76 कार्ययोजनाओं के कार्य पूर्ण नहीं हुए है तथा 17 के उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को दिए जा चुके हैं तथा अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि इस सम्बन्ध में शीघ्र की सम्बन्धित मान्नीय सदस्यों के साथ बैठक रखी जाएगी।

मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, बन्जार, आनी तथा निरमण्ड को निर्देश दिए गए कि वे भी 13वां वितायोग के निर्माण कार्य आरम्भ पूर्व कार्य योजना स्थल पर जिला परिषद का बोर्ड लगाया जाने

सम्बन्धित शीघ्र अति शीघ्र कार्यवाही करें तथा जिन योजनाओं के कार्य को आरम्भ नहीं किया जा रहा है वे सम्बन्धित मान्नीय सदस्य के साथ बैठक का आयोजन करें।

(सम्बन्धित विभागः–समस्त खण्ड विकास अधिकारी)

प्रस्ताव संख्याः– 19/दिनांक 06.03.2013
समस्त पदाधिकारीगण
जिला परिषद् अध्यक्ष को अपने जिला में तथा मान्नीय जिला परिषद् सदस्यों को उनके वार्ड क्षेत्र में विकास कार्यों के शिलान्यास/उद्घाटन हेतू अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने बारेः–

मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही सरकार द्वारा की जाएगी।

(सम्बन्धित विभागः– निजि सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हि0प्र0 सरकार शिमला–2/
निदेशक पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9/
सचिव ग्रमीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला–2)

प्रस्ताव संख्याः– 21/दिनांक 06.03.2013
कार्यालय जिला परिषद्
आगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण तथा निरीक्षण रिर्पोट सदन में प्रस्तुत करने बारेः–

जिला कार्यक्रम अधिकारी, कुल्लू ने उनके कार्यालय पत्र संख्या 200 दिनांक 13.01.2015 के अन्तर्गत समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सूचना, शिक्षा एवं सम्पेषण मद के अन्तर्गत खण्ड स्तर/आंगनवाडी स्तर पर आयोजित किए जाने वाले जागरूकता शिविरों की सूचना जिला परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों को भेजना सुनिश्चित किया जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना अनुसार पंचायत प्रतिनिधियों को भी आंगनवाडी केन्द्रों के निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है। अतः क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को पंचायत प्रतिनिधियों के आंगनवाडी केन्द्र में निरीक्षण के समय उन्हें पूर्ण सहाायेग प्रदान करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त दिनांक 24.9.2014 को सम्पन्न जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में पारित प्रस्ताव में यह निर्णय लिया गया है कि जब भी आगंनवाडी केन्द्रों से सम्बन्धित कोई विशेष बैठक आयोजित की जाए तो सम्बन्धित सम्मानीय जिला परिषद के पदाधिकारियों को भी बैठक में बुलाया जाए।

(सम्बन्धित विभागः–समस्त पदाधिकारिगण जिला परिषद कुल्लू /

प्रस्ताव संखयाः– 22/दिनांक 06.03.2013
मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद् कुल्लू
शौचालय निर्माण बारेः–

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजना के अन्तर्गत 2 योजनाओं दी गई जिनके निर्माण कार्य हेतू 13वां वितायोग से 20 प्रतिशत धनराशि खर्च की जाएगी।

1. निर्माण सार्वजनिक शौचालय गॉव नगर नजदीक सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत नगर।
2. निर्माण सार्वजनिक शौचालय गॉव शुरू मन्दिर के नजदीक ।

सदन में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि उन सारी औपचारिकताऍ पूर्ण की जा चुकी है तथा 13वां वितायोग से 10 प्रतिशत अंशदान धनराशि उपरोक्त दोनों योजनाओं के लिए स्वीकृत की जाए तो आगामी कार्यवाही कर दी जाएगी जिस पर मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को आश्वासन दिलाया गया कि वे उपरोक्त दोनों योजनाओं के लिए 10 प्रतिशत की धनराशि को स्वीकृत करवाकर उनके कार्यालय को प्रेषित कर देगें।

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मान्नीय सदस्य श्री दिनेश सेन जी के आग्रह पर विभाग को निर्देश दिए गए कि वे सार्वजनिक शौचालय तथा व्यक्तिगत शौचालयों की विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत करवाऍ तथा व्यक्तिगत शौचालय तथा सामुदायिक शौचालयों के सर्वे की लिस्ट भी कार्यालय को प्रेषित करें।

सदन में परियोजना अधिकारी द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि उनके कार्यालय द्वारा शीघ्र की सर्वे की लिस्ट प्रेषित की जाएगी।

(सम्बन्धित विभागः–परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण / खण्ड विकास अधिकारी, नगर)

प्रस्ताव संख्याः– 23/दिनांक 06.03.2013
समस्त पदाधिकारीगण
फोटोस्टेट मशीन क्रय करने बारेः–

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया कि जिला परिषद् कार्यालय हेतू फोटोस्टेट मशीन क्रय की जानी अति आवश्यक है। निदेशक महोदय को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतू लिखा गया है। जैसे ही निदेशक महोदय से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होती है, फोटोस्टेट मशीन क्रय कर ली जाएगी। अतः पुनः सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से निदेशक पंचायती राज महोदय से अनुरोध किया गया कि कार्यालय प्रयोग हेतू फोटोस्टेट मशीन क्रय करने की प्रशाशनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

(सम्बन्धित विभागः–निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9)

प्रस्ताव संख्याः– 25/दिनांक 06.03.2013
कार्यालय जिला परिषद
सम्पूर्ण स्वच्छता तथा पौधा रोपण एवं पर्यावरण अभियान का आयोजन करने बारेः–

सदन ने निर्णय लिया कि समस्त पदाधिकारीगण द्वारा उनके वार्ड क्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा पौधा रोपण अभियान एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में कार्यक्रमों को आयोजित करें तथा रिर्पोट इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(सम्बन्धित विभागः–समस्त पदाधिकारीगण जिला परिषद कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः– 06/दिनांक 31 जुलाई, 2013
श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्
जैविक खेती की विस्तार से तथा विभाग द्वारा चलाई जाने वाली समस्त योजनाओं की एवं विभाग द्वारा किसानों को दिए जाने वाले बीज व कीटनाशक के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी देने बारेः–

इस सम्बन्ध में विभागों से प्राप्त जानकारी को मान्नीय सदस्य को उपलब्ध करवाया जा चुका है।

(सम्बन्धित विभागः–उप–निदेशक कृषि विभाग कुल्लू/ उप– निदेशक उद्यान विभाग कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–10/दिनांक 31 जुलाई, 2013
श्रीमती निर्मला, मान्नीय सदस्या
2. चनौन से कड़ाहिल की डी0पी0आर0 बनाई गई है। सड़क का कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा।

चनौन से कड़ाहिल सड़क के निर्माण बारे निजी भूमि व सरकारी भूमि को स्थानांतरण हेतू श्रीमति निर्मला महन्त माननीय सदस्या जिला परिषद् की अध्यक्षता में दिनांक 23.06.2014 को 2 बजे अपराहन संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें निजी भूमि मालिकों से भूमि दान हेतू प्रेरित किया गया परन्तु अभी कोई भी सहमति पत्र प्राप्त नहीं हुए जिसके बाद ही आगामी कार्यावाही की जा सकेगी।

मान्नीय सदस्या की सहमति से प्रस्ताव को समाप्त किया गया।

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम)

प्रस्ताव संख्याः– 07/दिनांक 22.11.2013
श्री ओम प्रकाश शर्मा, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू
क. कुल्लू से बड़ोगी, भ्रैण, छमाहण, चतराणी, शागंचण के रूटों में नियमित रूप से बसे चलाने बारेः–

क्षेत्रिय प्रबन्धक, हि0प0प0नि0 कुल्लू ने अवगत करवाया है कि कुल्लू से चतराणी मार्ग पर हिमपनि कुल्लू के द्वारा नियमित रूप से बस सेवा चलाई जा रही हैं जबकि बड़ोगी, त्रैहण, शांगचण तथा छमाहण के लिए अभी बसों तथा कर्मचारियों की कमी के कारण सेवाए चलाना सम्भव नहीं है जबकि कुल्लू क्षेत्र के द्वारा JNNURM निती के अन्तर्गत 40 बसों की मांग की गई है जिन्हें कुल्लू क्षेत्र के बन्द पड़े रूटों पर तथा कुछ नव निर्मित मार्गों पर चलाने का प्रस्ताव मुख्य कार्यालय को भेजा गया है। अतः बसों तथा कर्मचारियों की आपूर्ति होते ही उपरोक्त वर्णित मार्गों पर बस सेवओं के संचालन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

सदन में प्रस्ताव के माध्यम से श्री जी0एस0बाली, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, परिवहन तथा तकनीकी शिक्षा मन्त्री महोदय से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त सड़कों पर नियमित रूप से बसें चलाना अति आवश्यक है लेकिन बसों को चलाने हेतू स्टाफ उपलब्ध नहीं है। अतः स्टाफ की नियुक्ति शीघ्र अति शीघ्र करने की अनुकम्पा करें ताकि समस्या का समाधान हो सके।

(सम्बन्धित विभागः– निजि सचिव, श्री जी0एस0बाली, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, परिवहन तथा तकनीकी शिक्षा मन्त्री)

<u>ख. सड़क निर्माण के उपरान्त कितने वर्ष नियमित बस सुविधा हेतू लग जाते है ?</u>

सड़क निर्माण तथा सड़क के संयुक्त निरीक्षण व सड़क के वाहन चलाए जाने के उपयुक्त पाये जाने पर तथा स्थानीय निवासियों की मांग के मध्यनज़र पूर्ण विवरण मुख्य कार्यालय को स्वीकृती के लिए भेजा जाता है तथा स्वीकृति के उपरान्त रूट परमिट स्वीकृत होने पर बस सेवाओं को संचालन प्रारमभ किया जाता है।

मान्नीय सदस्य की सहमती से प्रस्ताव को समाप्त किया गया।

(सम्बन्धित विभागः—उप मण्डल अधिकारी (ना0) कुल्लू/
क्षेत्रिय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः—11/दिनांक 25 नवम्बर, 2013
श्री बुद्वि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्
<u>तहसीलदार निवास स्थान के साथ के रास्ते को चौड़ा करने बारेः—</u>

सदन में मान्नीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि तहसीलदार कुल्लू के निवास स्थान के आगे काफी स्थान खाली पड़ा हुआ है जिसका कि कोई सद्उपयोग नहीं हो रहा है। यदि इस स्थान की मैटलिंग की जाए तो काफी वाहनों को पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। सदन में समस्त पदाधिकारियों द्वारा इस पर सहमति प्रकट की गई। अतः सदन उपायुक्त कुल्लू को प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध करती है कि इस बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू द्वारा अवगत करवाया गया है कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपायुक्त महोदय से चर्चा की गई है। यह एक रिहाईशी जगह है और वहॉ से तहसीलदार निवास के लिए भी रास्ता है और इस जगह को पार्किंग हेतू उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि वे इस सम्बन्ध में स्वयं मान्नीय उपायुक्त महोदय से चर्चा कर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेगें।

इस सम्बन्ध में एक सब कमेटी बनाई गई, जिसमें कि श्री ओम प्रकाश शर्मा, मान्नीय सदस्य जिला परिषद, श्री बुद्वि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद, श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद तथा श्रीमती प्रेमलता ठाकुर मान्नीय सदस्या जिला परिषद एवं उपाध्यक्षा जिला परिषद व मान्नीय अध्यक्ष महोदय का भी चयन किया गया। मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में बैठक हेतू मान्नीय उपायुक्त महोदय से चर्चा की जाएगी।

(सम्बन्धित विभागः—कार्यालय उपायुक्त
श्री हरि चन्द शर्मा, अध्यक्ष जिला परिषद एवं श्रीमती धनरेश्वारी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद /
श्री ओम प्रकाश शर्मा, मान्नीय सदस्य जिला परिषद/श्री बुद्वि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद/
श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद/श्रीमती प्रेमलता ठाकुर मान्नीय सदस्या जिला परिषद)

प्रस्ताव संख्याः– 16/दिनांक 25 नवम्बर, 2013
श्री दिनेश सेन, सदस्य जिला परिषद् कुल्लू
<u>क. ट्रक यूनियन को बाशिंग में स्थान आबंटित करने बारेः–</u>

इस सन्दर्भ में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपायुक्त महोदय से चर्चा की गई। मान्नीय उपायुक्त महोदय द्वारा यह अवगत करवाया गया कि वे इस सम्बन्ध में शीध्र ही निर्णय लेगें।

वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू ने अवगत करवाया है कि जो भूमि ट्रक यूनियन को आबटिंत की गई है और उस भूमि के आवंटन को रद्द करने के लिए यहा मामला उपायुक्त कुल्लू के समक्ष इस कार्यालय के पत्र संख्या 4828 दिनांक 19.10.2013, 5483 दिनांक 14.11.2013 व के द्वारा उठाया गया है।

श्री विजय कुमार, गॉव वाशिंग ने उपायुक्त कुल्लू के दिनांक 1.10.2013 आदेश के खिलाफ हि0प्र0 उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें उच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी जिसमें उच्च न्यायलय में आदेश पारित किये है कि यचिकर्ता इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के समक्ष इस बारे में representation करेगा और इस सम्बन्ध में श्री विजय कुमार ने representation की है जो उच्च कार्यालय में decision के लिये विचाराधीन है।

श्री गिरधारी लाल स्पुत्र श्री लुदर चन्द गॉव वाशिंग ने उपायुक्त कुल्लू ने दिनांक 1.10.2013 आदेश के खिलाफ National Green Tribunal में याचिका दायर की है जोकि न्यायलय में विचाराधीन है।

सदन में मान्नीय सदस्य द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि ट्रक यूनियन के पास ट्रकों को रखने हेतू अपनी निजि भूमि थी जिसे कि उन द्वारा बेचा गया तथा ट्रकों को बाशिंग स्थान में उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार रखा जाने लगा। यदि ट्रकों को रखने हेतू कोई उपयुक्त भूमि नहीं है तो मान्नीय सदस्य द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि वह ट्रक यूनियन हेतू उन द्वारा उपयुक्त स्थान देखा गया है। ट्रक यूनियन द्वारा उस स्थान पर ट्रकों को रखा जा सकता है।

पुलिस अधिक्षक महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि प्रभारी थाना कुल्लू तथा प्रभारी यातायात कुल्लू को इस सन्दर्भ में निर्देश दिये गये हैं कि वाशिंग में ट्रकों को उच्च मार्ग–21 पर एक तरफ लगने दें, अगर ट्रक वेतरतीव लगते है तो उनके चालान करें। प्रभारी यातायात कुल्लू ने भी अपनी रिर्पोट में व्यक्त किया है कि जब ट्रक उच्च मार्ग–21 पर गलत पार्क होते है तो उनके चालान मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत किए जाते हैं। इस सन्दर्भ में ट्रक युनियन के प्रधान, उप प्रधान, चालकों तथा प्रभारी खाद्य निगम भण्डार वाशिंग को पार्किंग के अभाव को देखते हुए हिदायत दी है कि ट्रकों को मन्दिर से आगे सड़क के किनारे एक तरफ कच्ची सड़क में पहाड़ी की तरफ खड़ा किया करें तथा दिन में ट्रकों को समान भरने नहीं दिया जाता है इसलिए ट्रकों के मालिकों द्वारा समान को रात में भरा जाता है ताकि स्थानीय जनता को परेशानी न हो।

सदन में दिए गए उतर से श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद सन्तुष्ट नहीं हुए। जिस पर कि मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मान्नीय सदस्य को आश्वासन दिलाया गया कि वे शीघ्र ही उपायुक्त महोदय से इस सम्बन्ध में चर्चा करेगें।

(सम्बन्धित विभागः–कार्यालय उपायुक्त कुल्लू/पुलिस अधिक्षक कुल्लू/
श्री हरि चन्द शर्मा, अध्यक्ष जिला परिषद कुल्लू/
वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या :–04 /दिनांक 25.03.2014
श्रीमती कीर्ति शौरी, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्
<u>क. घियागी से सजवाड़ सड़क का कार्य पूर्ण करने तथा नाले पर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने बारेः–</u>

अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि घियागी से सजवाड़ सड़क का कार्य जून 2015 तथा पुल का कार्य जून, 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा।

<u>ख) बठाहड़ मशियार सड़क का कार्य पूर्ण करने बारेः–</u>

अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि बठाहड़ मशियार सड़क का कार्य जून 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम)

प्रस्ताव संख्याः– 05 /दिनांक 25.03.2014
श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्

क. स्कूल भवनों को डिसमैंटल करने की क्या प्रकिया है, इसमें कितना समय लगता है, 31 दिसम्बर, 2013 तक कितने स्कूल भवनों को डिस्मैंटल किया जा चुका है और निकट भविष्य में कितने भवनों को इस प्रकिया के अधीन डाला गया है। डिस्मैंटल किये गये व किये जाने वाले भवनों की सूचि दी जाए। सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुल्लू ने अवगत करवाया है कि स्कूल भवनों को डिस्मैंटल करने बारे सर्व प्रथम एस0एम0सी0 का प्रस्ताव व ए0ई0 सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्कूल भवन का असुरक्षित प्रमाण पत्र तथा सर्वे रिपोर्ट दी जाती है। उसके उपरान्त इस कार्यालय द्वारा स्कूल भवन को डिस्मैंटल करने की अनुमति मान्नीय उपायुक्त कुल्लू से ली जाती है। समय सीमा कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है। 31 दिसम्बर 2013 तक 16 स्कूल भवनों को दिस्मैंटल किया जा चुका है। रा0प्रा0 पाठशाला नरोगी, सरसेई, अखाड़ा बजार, ठेला, सजवाड़, खलोगी, पनीहार, खनाग, बेधार, पेखरी–1, तिन्दर, सचाणी, फवयारी, रशोल, कशेरी, भूमतीर, रूआड़, नगोठी इत्यादि। निकट भविष्य में खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी से असुरक्षित भवनों के मामले मांगे गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी मामले इस कार्यालय में नहीं आए हैं।

ख. प्राथमिक पाठशाओं और उच्च पाठशालाओं में डैस्क खरीदने की क्या प्रकिया है, इसमें कितना समय लगता है, वर्ष 2005 से वर्ष 2013 तक कितने डैस्क विभाग द्वारा खरीदे गये, इसकी पूरी सूचि स्कूलों से नाम के साथ लिखित में प्रस्तुत करे।

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुल्लू ने अवगत करवाया है कि प्राथमिक स्कूलों के लिए बजट सिर्फ उन्हीं पाठशालाओं के लिए हैं जो पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत आते हैं ये बजट केवल आनी निरमण्ड के कुछ स्कूलों को जाता है जो इस योजना के अन्तर्गत आते हैं। 2005 से 2013 तक जो डैस्क विभाग द्वारा खरीदे हैं उसकी सूचना मान्नीय सदस्य को पूर्व बैठकों में दी जा चुकी है।

मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभागों को निर्देश दिए गए कि मान्नीय सदस्य के साथ बैठक का आयोजन कर उन्हें विस्तार से अवगत करवाया जाया।

**(सम्बन्धित विभागः—उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा व उच्च शिक्षा/
प्रधानाचार्य, सर्व शिक्षा अभियान जरड़)**

प्रस्ताव संख्या :— 06 /दिनांक 25.03.2014
श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्
<u>क. भून्तर में उप कोषागार खोलने बारेः—</u>

जिला कोषाधिकारी कुल्लू द्वारा गत बैठक में सदन को विस्तार पूर्वक अवगत करवाया गया था जिस सन्दर्भ में मान्नीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि भून्तर में भी कोषागार खोला जाना अति आवश्यक है। क्योंकि भून्तर की स्थानीय जनता को चलान व हाई वेलयू स्टेट के लिए कुल्लू आना पड़ता है। जिससे कि लोगों को अधिक समय लगता है और इन्हें असुविधा भी हो रही है।

जिला कोषाधिकारी कुल्लू ने अवगत करवाया है कि भून्तर में उपकोषागार स्थापित करने हेतू अतिरिक्त निदेशक कोष लेखा तथा लाटरी विभाग शिमला द्वारा कुछ सूचना इनके कार्यालय से मांगी गई थी जिसे कि इनके कार्यालय पत्र संख्या फिन (टी0आर0)के0यू0/ईस्टा 2014—15 ....2378 दिनांक 18.10.2014 द्वारा प्रेषित की गई है।

जिला राजस्व अधिकारी, कुल्लू ने अवगत करवाया कि भून्तर में उप कोषाकार खोलने हेतू भूमि चयन/हस्तांतरण बारे दिशा—निर्देश प्राप्त होने पर मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जायेगा।

अतः सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से पुनः मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया कि वे तहसील भून्तर में उपकोषागार कार्यालय खोलने हेतू आगामी कार्यवाही के आदेश निदेशक महोदय को जारी करने की अनुकम्पा करें।

**(सम्बन्धित विभागः— मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—2/
जिला कोषाधिकारी एवं जिला राजस्व अधिकारी कुल्लू)**

प्रस्ताव संख्याः— 08 /दिनांक 25.03.2014
श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद्
<u>पेड़ों को सुरक्षित रखने व घास को बचाने हेतू विभाग द्वारा ठोस कदम उठाने बारेः—</u>

वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू ने अवगत करवाया है कि घास लगाने के लिये लोहे की गाडर या पाईप उपलब्ध करवाने बारे मामला इस कार्यालय के पत्र संख्या 5133 दिनांक 22.9.2014 उच्च कार्यालय को भेजा गया था। उच्च अधिकारी ने सूचित किया है कि वर्तमान में विभाग के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिस के अन्तर्गत गॉव वालों को कम मूल्यों पर लोहे के गाडर उपलब्ध करवाए जा सके। इस सम्बन्ध में उच्च कार्यालय से इनके कार्यालय को आदेश प्राप्त हुये है कि इस सम्बन्ध में मामला जिलाधीश अथवा जलागम विकास मण्डल से पत्राचार करें। इस कार्यालय के पत्र संख्या 8460 दिनांक 15.1. 2015के द्वारा जलागम विकास मण्डल से पत्राचार किया गया है । अतः इस पर फैसला होने पर सदन को अवगत करवाया जायेगा।

(सम्बन्धित विभागः—वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–10 /25.03.2014
श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्या जिला परिषद्
जिला योजना समिति की बैठक का अयोजन करने बारेः–

जिला पंचायत अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि बैठक का आयोजन श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री मन्त्री एवं अध्यक्ष जिला योजना समिति द्वारा ही किया जा सकता है। अतः सदन द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय अध्यक्ष जिला योजना समिति से अनुरोध किया गया कि वे शीघ्र जिला योजना समिति की बैठक करवाने के निर्देश देने की अनुकम्पा करें।

श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री मन्त्री एवं अध्यक्ष जिला योजना समिति / सचिव, जिला योजना समिति एवं उपायुक्त कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः– 12 /दिनांक 25.03.2014
श्री बुद्वि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्
ख. भून्तर (पी0एच0सी0) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए एक होमगार्ड के जवान की तैनाती की जाए।

सदन में मान्नीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा, द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि वे आर0के0एस0 की बैठक में इस मामले का सुलझाने का प्रयास करेगें। मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए की आर0के0एस0 के तहत एक होमगार्ड की नियुक्ति करें। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू द्वारा इनके कार्यालय की शाशनिकाय (Governing Body) की बैठक में इस समस्या का समाधान करें तथा लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में इस कार्यालय को सूचित करें ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।

सदन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि आर0के0एस0 की बैठक में इस मामले को सुलझाया जा सकता है। अतः सदन में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय उपरान्त मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू का निर्देश दिए गए कि वे इस मामले को आर0के0एस0 भून्तर की बैठक में इस योजना को स्वीकृत करवाएँ ताकि भून्तर (पी0एच0सी0) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों की सुरक्षा हेतू होमगार्ड की नियुक्ति हो जाए।

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे बी0एम0ओ0 जरी को निर्देश जारी करें कि आर0के0एस0 की बैठक रखी जाए ताकि उपरोक्त समस्या का समाधान किया जा सके।

(सम्बन्धित विभागः–श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य जिला परिषद/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, क्षेत्रिय अस्पताल कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः– 16/दिनांक 25.03.2014
मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद्
क. मनाली शहर के सौन्दयकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने बारेः–

मनाली शहर के सौन्दर्यकरण का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। जैसे ही विद्युत विभाग वाले अपना over Head Line को underground करने का कार्य पूर्ण करेंग। इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा।

<u>ख. दुआड़ा मेहा, भूझणू सड़क को चौड़ा तथा निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने बारेः–</u>

वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू वन मण्डल कुल्लू, ने अवगत करवाया है कि दुआड़ा–मेहा सड़क वन विभाग द्वारा निर्मित जीप योग्य सड़क है। यह दुआड़ा–मेहा सड़क जीप योग्य सड़क 1993–94 में वन विभाग द्वारा 6.850 कि0मी0 बनाई गई है। वर्ष 2012–13 में इस सड़क की मुरम्मत के लिये 4 लाख रू0 खर्च किये गये थे। इस सड़क पर गाडियॉ चल रही है। इस सड़क की मैटलिंग नहीं हुई है। मैटलिंग का कार्य भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एफ0सी0ए0, 1980 लागू होता है।

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग–2 को निर्देश दिए गए कि दुआड़ा मेहा, भूझणू सड़क को वन विभाग से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण करने सम्बन्धि आगामी कार्यवाही अमल में लाएँ तथा जिला परिषद को अवगत करवाएँ। इसके अतिरिक्त वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल को भी निर्देश दिए गए कि वे भी दुआड़ा मेहा, भूझणू सड़क को लोक निर्माण विभाग को सौंपने सम्बन्धित आगामी कार्यवाही शीघ्र अति शीघ्र अमल में लाएँ।

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग कुल्लू/अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत विभाग मनाली/ अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल न0 02/वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–02/दिनांक 20 जून, 2014
श्री तेज राम, मान्नीय सदस्य जिला परिषद् कुल्लू
<u>आनी से जो दलाश विद्युत लाईन को अलग करने तथा नगान से फिटर का स्थानांतरण करने बारेः–</u>

अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि निर्माधाधीन 66/22 के0वी0 सब स्टेशन नगान के पूर्ण रूप से तैयार होने पर दलाश फीटर स्वतः ही स्वतन्त्र हो जाएगा। दलाश में 100 के0वी0ए0 के स्थान पर 250 के0वी0ए0 का ट्रास्फार्मर पिछले माह (अगस्त 2014) को लगा दिया गया है। **अतः प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समाप्त किया जाता है।**

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाशी अभियन्ता, विद्युत विभाग आनी जिला कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–04/दिनांक 20 जून, 2014
श्री दिनेश सेन, अध्यक्ष जिला परिषद्
<u>लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के नजदीक के गोडाउन का स्थान परिवर्तित करने बारेः–</u>

अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि इस मण्डल के नजदीक के गोडाउन का स्थान परिवर्तित करने बारे स्थान चिन्हित किया जा रहा है। परन्तु अभी तक ऐसा कोई स्थान सड़क के साथ नहीं मिल रहा है जैसे ही सड़क के साथ स्थान मिलेगा गोडाउन को परिवर्तित करने हेतू कार्यवाही कर दी जाएगी।

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम)

प्रस्ताव संख्याः–05/दिनांक 20 जून, 2014
श्री बुद्वि सिंह, सदस्य जिला परिषद्

<u>तहसील भून्तर में नाईव तहसीलदार तथा तहसील कुल्लू में नाईव तहसीलदार के पद भरने बारेः–</u>

सदन में मान्नीय सदस्य श्री बुद्वि सिंह जी द्वारा अवगत करवाया गया कि भून्तर को तहसील बनाकर लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है लेकिन नाईव तहसीलदार न होने के कारण स्थानीय जनता के कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त तहसील कुल्लू में भी नाईव तहसीलदार का पद रिक्त है।

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया गया कि तहसील कुल्लू व भून्तर में नाईव तहसीलदार के रिक्त पदों को भरने की अनुकम्पा करें ताकि स्थानीय जनता की परेशानियों को कम किया जा सके।

(सम्बन्धित विभागः–निजी सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला)

प्रस्ताव संख्याः–06/दिनांक 20 जून, 2014
अध्यक्ष जिला परिषद्
<u>विकास खण्ड कुल्लू में लेखापाल की भर्ती करने बारेः–</u>

सदन में खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू द्वारा अवगत करवाया गया कि विकास खण्ड कुल्लू में लेखापाल का पद भरा जा चुका है। इस कार्य के लिए खण्ड विकास अधिकारी का जिला परिषद अध्यक्ष व सदन का धन्यवाद किया गया ।

सदन में मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद् व मान्नीय उपाध्यक्षा व समस्त सदस्यों द्वारा मान्नीय मुख्यमन्त्री का इस कार्य हेतू आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद किया गया। अतः प्रस्ताव को समाप्त किया जाता है।

(सम्बन्धित विभागः–निजी सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2)

प्रस्ताव संख्याः–07/दिनांक 20 जून, 2014
समस्त पदाधिकारीगण जिला परिषद् कुल्लू
<u>विकास खण्ड कुल्लू को 2 भागों में विभाजित करने बारेः–</u>

सदन द्वारा मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय का भून्तर को तहसील का दर्जा देने हेतू आभार प्रकट किया गया और यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि विकास खण्ड कुल्लू में 70 पंचायतें है और विकास खण्ड नगर में 40, विकास खण्ड बन्जार में 36, विकास खण्ड आनी में 32 तथा विकास खण्ड निरमण्ड में 26 पचायतें हैं। जिसमें कि सबसे बड़ा खण्ड (Block) विकास खण्ड कुल्लू है जिसमें में 70 पंचायतें है तथा 70 पंचायतों का कार्यभार सम्भालना बहुत मुश्किल हो रहा है। यदि 70 पंचायतों में से कार्यक्षेत्र के अनुसार उसका एक अन्य विकास खण्ड भून्तर बनाया जाए या इसे 2 भागों में विभाजित किया जाए तो कार्यों को सुगमता से सम्पन्न किया जा सकता है।

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया गया कि विकास खण्ड कुल्लू को 2 भागों/ खण्डों में विभाजित करने की अनुकम्पा करें ।

(सम्बन्धित विभागः–निजी सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2)

प्रस्ताव संख्याः– 11/दिनांक 20 जून, 2014
श्री मेघ सिंह ठाकुर, अध्यक्ष पंचायत समिति कुल्लू
<u>पुल एन0एच0 पिरडी तलोगी के पास मुरम्मत करने बारे</u>

सहायक अभियन्ता, यान्त्रिक उपमण्डल न0 02 हि0प्र0 लो0नि0विभाग शमशी ने बैठक में मौखिक तौर पर अवगत करवाया गया था और इसका मुरम्मत का प्राक्कलन कर प्राक्कलन अधिकशाषी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल न0 2 हि0प्र0 लो0नि0 विभाग कुल्लू को इस कार्यालय के पत्र संख्या 3282–3284 दिनांक 9.9.2014 को मु0 1397000/– केवल का प्रेषित किया गया है, तत्पश्चात अधिशाषी अभियन्ता कुल्लू मण्उल न0 2 द्वारा प्राक्कलन को स्वीकृती हेतू अधीक्षण अभियन्ता षष्टम वृत हि0प्र0 लो0नि0 विभाग कुल्लू को उनके कार्यालय पत्र संख्या 13475–76 दिनांक 27.9.2014 को स्वीकृति हेतू प्रेषित किया है तथा उपरोक्त प्राक्कलन की स्वीकृति के पश्चात्, धन उपलब्ध होने पर कार्य को सुचारू रूप से प्रारम्भ किया जाएगा।

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, यान्त्रिक लोक निर्माण विभाग शमशी)

प्रस्ताव संख्याः– 12/दिनांक 20 जून, 2014
सदस्य पंचायत भवन सरवरी कुल्लू
<u>पंचायत भवन कुल्लू तथा पंचायत भवन सरवरी के लिए फर्नीचर क्रय करने बारेः–</u>

पंचायत भवन कुल्लू तथा पंचायत भवन सरवरी के लिए फर्नीचर क्रय किया जा चुका है। अतः प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समाप्त किया गया।

(सम्बन्धित विभागः–सचिव पंचायत भवन सरवरी कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–14/दिनांक 20 जून, 2014
समस्त जिला परिषद सदस्य
<u>13वां वितायोग के कार्यों की समीक्षा व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने बारेः–</u>

इस सम्बन्ध में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह अवगत करवाया गया कि वे इस सम्बन्ध में सभी जिला परिषद सदस्य अपने–अपने विकास खण्डों में बैठक करेगें। अतः सभी जिला परिषद मान्नीय उपाध्यक्षा व मान्नीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने–अपने विकास खण्डों में 13वां वितायोग से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं की बैठक करें।

खण्ड विकास अधिकारी, नगर ने अवगत करवाया है कि 13 वां वितायोग के अन्तर्गत जो शैल्फ पारित किए गए हैं उनके अधिकतम कार्यों के उपयोग्ता/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फोटो सहित आपके कार्यालय को समय–समय पर भेजे गए हैं तथा लम्बित कार्यों की संख्या भी कम है कार्य प्रगति पर है। कार्यों के प्राक्कलन तकनीकी कर्मचारियों द्वारा स्वीकृति अनुसार समय पर तैयार किए जाते हैं। 13वां वितायोग के कार्यों की समीक्षा से सम्बन्धित बैठक हेतू यदि तकनीकी कर्मचारियों का बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य हो तो उन्हें इस कार्यालय द्वारा बैठक में उपस्थिति निश्चित करने के लिये सभी तकनीकी कर्मचारियों को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये जायेंगें।

(सम्बन्धित विभागः–सचिव, जिला परिषद कुल्लू/
समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–15/दिनांक 20 जून, 2014
समस्त सदस्य जिला परिषद कुल्लू
<u>जिला परिषद् अध्यक्ष को नया वाहन उपलब्ध करवाने बारेः–</u>

जिला परिषद को निदेशालय पंचायती राज विभाग द्वारा नया वाहन उपलब्ध करवाया गया है। सभी पदाधिकारीगण जिला परिषद द्वारा इस कार्य के लिए मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार तथा मान् पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मन्त्री हि0प्र0 सरकार का एवं निदेशक पंचायती राज महोदय का आभार प्रकट किया और धन्यवाद किया गया । **अतः प्रस्ताव को समाप्त किया गया।**

(सम्बन्धित विभागः–मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार / मान् पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मन्त्री हि0प्र0 सरकार /निदेशक पंचायती राज विभाग)

प्रस्ताव संख्याः–16/दिनांक 20 जून, 2014
समस्त सदस्य जिला परिषद कुल्लू
<u>13वां वितायोग के अंतर्गत जिला परिषदों को आबंटित राशि के बारे में :–</u>

13वां वितायोग के अंतर्गत जिला परिषद को जो राशि आबंटित की जा रही है उसे व्यय करने के लिए मार्गदर्शिका में पूर्व में आमूल चूल परिवर्तन किया गया था जिस कारण इस राशि को व्यय करने में समस्या आ रही थी। इस मार्गदर्शिका में फिर से परिवर्तन करने हेतू जिला परिषद सदस्यों ने मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय व मान्नीय पंचायती राज मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया था। इस निवेदन को स्वीकार करते हुए इस मार्गदर्शिका में पुनः विभाग द्वारा परिवर्तन किया गया है, इस परिवर्तन करने के बाद ही इस राशि को व्यय किया जा सका है। जिला परिषद कुल्लू मार्गदर्शिका में परिवर्तन करने के लिए मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय व मान्नीय पंचायती राज मन्त्री हि0प्र0 सरकार का धन्यवाद करती है। सदन में चर्चा की गई कि जिला परिषद को 13वां वितायोग जिला परिषद के अंतर्गत जो राशि प्राप्त हो रही है उसका 20 प्रतिशत मनरेगा करवरजेन्स पर खर्च किया जाना है। जिला परिषद को मनरेगा कनवरजेन्स में राशि खर्च करने हेतू किसी भी विकास खण्ड से मांग प्राप्त नहीं हुई है। जिला परिषद इस संबध में मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय व मान्नीय पंचायती राज मन्त्री हि0प्र0 सरकार से प्रस्ताव के माध्यम से आग्रह करती है कि इस 20 प्रतिशत मनरेगा कनवरजेन्स के लिए रखी गई राशि को सीधे तौर पर अन्य कार्य योजनाओं को 13वां वितायोग मार्गदर्शिका में दी गई है पर खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि इस राशि को 31 मार्च से पूर्व व्यय किया जा सके तथा पंचायत पदाधिकारी संघ हि0प्र0 द्वारा इस मार्गदार्शिका में संशोधन करने बारे जो आग्रह किया है उस अनुसार मार्गदार्शिका में संशोधन करने की कृपा करें।

(सम्बन्धित विभागः–मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–02/ मान्नीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मन्त्री हि0प्र0 सरकार शिमला–02)

प्रस्ताव संख्याः– 17/दिनांक 20 जून, 2014
समस्त पदाधिकारीगण
<u>जिला परिषद सचिव तथा स्टाफ को एक अतिरिक्त वेतन वृद्वि व पदोन्निति प्रदान करने बारेः–</u>

सदन में समस्त सदस्यों द्वारा यह अवगत करवाया गया कि जिला परिषद के अधिकारी व स्फॉफ का कार्य अति प्रशंसनीय है जिसके कारण जिला परिशद लगातार तीन बार राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार पाने में समक्ष हुई है। इसके

अतिरिक्त मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय हि0प्र0 सरकार द्वारा भी गत वर्ष 15 अगस्त के पावन अवसर पर जिला परिषद को एक लाख रू0 के पुरस्कार से नवाजा गया है। इसलिए जिला परिषद के अधिकारी व स्टॉफ को उनके पद पर पदोन्निति तथा एक अतिरिक्त वेतन वृद्वि इनाम के तौर पर दी जानी आवश्यक है ताकि जिला परिषद के अधिकारी यव स्फॉफ के मनोबल में बढौतरी हो तथा आगामी भविष्य में और अधिक सराहनीय कार्य करें। इस संदर्भ में जिला परिषद ने जिला कुल्लू के विधायकों की उपस्थिति में पूर्व में तीन बार प्रस्ताव पारित किए हैं। समस्त सदस्य जिला परिषद ने सचिव एवं उनके दिशा निर्देशों पर कार्य कर रहे स्टाफ की सराहना की। सचिव जिला परिषद की नई सोच एवं योजनाऍं परिषद को सम्मान दिलाने में अहम है जिसमें कि उन द्वारा जिला परिशद की अपनी web Site को design करना भी महत्वपूर्ण कदम है।

इस पर उपाध्यक्षा जिला परिषद ने भी जिला परिषद के अधिकारी व स्टाफ की कार्यों की सराहना की। यह अवगत करवाया कि वह पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवाऍं दे रही हैं और भविष्य में भी अपनी सेवाऍं देती रहेगीं। पिछले कुछ वर्षों से जिला परिषद के वेहतरीन अधिकारी व स्टॉफ के कारण कार्यों में पारदर्शिता आई है तथा कार्यों को निपुणता से निभाया गया जिस कारण कि जिला परिषद को लगातार तीन बार पी0ई0ए0एस0 के अन्तर्गत जिला परिषद कुल्लू को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सदन के इस निर्णय से मान्नीय सदस्य अत्यधिक सन्तुष्ट हुए और कहा कि जिला परिषद के सचिव व स्टाफ को उनके पद पर पदोन्निति तथा एक अतिरिक्त वेतन वृद्वि मिलने पर मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार से निदेशक पंचायती राज हिमाचल प्रदेश शिमला–09 तथा सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश शिमला –02 के माध्यम से अनुरोध किया जाता है कि सदन की इस मांग को शीघ्र पूर्ण कर जिला परिषद स्टाफ के मनोबल को बढ़ाने में जिला परिषद का सहयोग करें ताकि आने वा.ले भविष्य में जिला परिषद की और अहम भूमिका हो।

मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला परिषद को जो इनाम मिला है इसके हकदार जिला परिषद के सचिव व स्टाफ है क्योंकि तीन बार एक जिला परिषद् को ईनाम मिलना जिला परिषद के लिए अपने आप में ही एक गौरवमयी सूचक है। जिला परिषद कुल्लू ने हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की पंचायती राज संस्थाओं में नाम रोशन किया है। जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। इसका श्रेय मैं जिला परिषद सचिव व स्टाफ को पूर्ण रूप से प्रदान करता हूॅं। जिला परिषद सरकार से मांग करती है कि सचिव जिला परिषद को उनके पद पर पदोन्निति प्रदान की जाए ताकि वह और उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं व सोच से प्रदेश को योगदान दे सकें। जिला परिषद को अपनी निधि से या ईनाम से प्राप्त राशि से अपने स्टाफ को नकद ईनाम देने की अनुमति भी प्रदान की जाए।

(सम्बन्धित विभागः–मान्नीय मुख्यमन्त्रीमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2
सचिव, पंचायती राज विभाग शिमला–2/
निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–09)

प्रस्ताव संख्या– 02 /दिनांक 24.09.2014
श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू
<u>वन अधिकारी समितियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने बारेः</u>–

क. मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू द्वारा सदन में अधिकारी से पूछा गया कि वन अधिकार समितियॉं जिले के अन्तर्गत किन–किन चरणों में कहॉं–कहॉं बनी है ?

ख. मान्नीय सदस्य द्वारा विभाग से पूछा गया कि इन समितियॉं के क्या –2 कार्य /अधिकार है ? विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

अतः मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे उपरोक्त जानकारी से मान्नीय सदस्य तथा इस कार्यालय को अवगत करवाएँ।

खण्ड विकास अधिकारियों से प्राप्त रिर्पोट के आधार पर वांछित सूचना निम्न प्रकार से हैः–

जिले का नाम	उप मण्डल का नाम	गॉव स्तर पर कुल गठित FRCs सबन्धित उप मण्डल बार	विकास खण्ड का नाम	गॉव स्तर पर कुल गठित FRCs सम्बन्धित विकास खण्ड बार
कुल्लू	बंजार	90	बंजार	90
	कुल्लू	142	कुल्लू	33
	मनाली	65	नगर	174
	आनी	52	आनी	32
	कुल योग	349		349

वन मण्डल अधिकारी शमशी द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि इनके कार्यालय में जिले के अन्तर्गत वन अधिकार समितियों की सूचि उपलब्ध नहीं है। जहॉ तक इन समितियों के कार्य/अधिकारों का सम्बन्ध है, इस सन्दर्भ में (The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dewellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Rules, 2012" की छाया प्रति मान्नीय सदस्य जिला परिषद को उपलब्ध करवाई गई है। जिसमें वन अधिकार समितियों के कार्यों/अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

खण्ड विकास अधिकारी निरमण्ड द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को मान्नीय सदस्य को प्रेषित किया गया है।

(सम्बन्धित विभागः– वन मण्डल अधिकारी/ समस्त खण्ड विकास अधिकारी)

प्रस्ताव संख्या :–03/ दिनांक 24.9.2014
श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जि0प0

क. सदन में मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि आई0आर0डी0पी0 और बी0पी0एल0 में पात्र उम्मीदवार के चयन का क्या नियम है, इस में पटवारी की क्या भूमिका है ?

ख. आय प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा अभ्यार्थी को जारी किया जाता है उसके क्या मापदण्ड है ?

अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई आई0आर0डी0पी0 और वी0पी0एल0 में पात्र उम्मीदवार के चयन की मार्गदर्शिका प्रतिलिपि मान्नीय सदस्य को उपलब्ध करवाई गई है।

(सम्बन्धित विभागः–परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कुल्लू / जिला राजस्व अधिकारी कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या :–04/दिनांक 24.9.2014
श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जि0प0

क. विभाग के पास कितने पुराने रोड़ है, जो अब उपयोग में नहीं है, नाम सहित विवरण स्पष्ट करें ? विभाग ने कई जगह लोगों की जमीने सड़क बनाने या विश्राम गृह बनाने व अन्य कार्यों के लिए अधिग्रहित की होती है और बाद में यह सब सड़क , विश्राम

<u>गृह व अन्य कार्य बदल दिए जाते हैं, तो उस अधिग्रहित जमीन का विभाग क्या उपयोग करता है पूरी सूचि जगह के नाम सहित दी जाए ?</u>

अधिकारी द्वारा अवगत करवाया कि विभाग के पास ऐसा कोई पुराना रोड़ नहीं है, जो अब उपयोग में नहीं है और न ही विभाग ने लोगों की जमीने सड़क बनाने या विश्राम गृह व अन्य कार्यों के लिए अधिग्रहित की है, जिसे बाद में सड़क विश्राम गृह व अन्य कार्य के लिए बदल दिया गया हो।

ख. सड़क में तारकोल विछाने के क्या नियम है, तारकोल किन–किन महीने में विछाई जाती है, तारकोल विछाने के लिए तापमान कितना होना चाहिए ?

अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रत्येक सड़क की दशा के बारे में विस्तृत विवरण तथा पूर्व में की गई टायरिंग का विवरण उच्चतर कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। उसी के आधार पर विभिन्न मापदण्डो को ध्यान में रख कर टायरिंग का प्लान उच्चतर कार्यालय द्वारा किया जाता है लोक मिर्नाण विभाग में तारकोल बिछाने का उपयुक्त समय अप्रैल से जून माह तक तथा सितम्बर से अक्तूबर माह तक होता है। तारकोल बिछाने के लिए वातावरण का कम से कम तापमान 10 डिग्री होना चाहिए।

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग– 1/ अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग–2)

प्रस्ताव संख्याः– 05/दिनांक 24.9.2014
मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद/ श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य
<u>जनहित की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने बारेः–</u>

मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि अधिकारी उनके विभागिय की (जी0एच0एन0पी0 के सम्बन्ध में) Power Point presentation तैयार कर लायें ताकि सदन में विस्तृत चर्चा की जा सके। इस सम्बन्ध में अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि वे आगामी बैठक में जी0एच0एन0पी0 की Power Point presentation तैयार कर जिला परिषद सदन में प्रस्तुत करेगें।

(सम्बन्धित विभागः–वन मण्डल अधिकारी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क शमशी)

प्रस्ताव संख्याः– 06/दिनांक 24.9.2014
मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद
<u>पटवारियों के रिक्त पदों को भरने बारेः–</u>

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि पटवारियों के रिक्त पड़े पदों के कारण जनहित के कार्यों में बाधाऍ आ रही है। जिला कुल्लू में ही नहीं बल्कि हिमाचल के सभी जिलों में पटवारी के पद रिक्त है। अतः मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध है कि पटवारियों के रिक्त पड़े पदों को भरने की अनुकम्पा करें।

(सम्बन्धित विभागः–निजी सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2)

प्रस्ताव संख्याः– 07/दिनांक 24.9.2014
मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद
<u>ए0डी0 हाईड्रो प्रोजेक्ट सड़क जगतसुख से लिंक रोड़ भनारा तक (3 कि0मी0 आगे तक) सरकार इस सड़क को पी0डब्लयू0डी0 के अधीन करने बारेः–</u>

मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि ए0डी0 हाईड्रो प्रोजेक्ट सड़क जगतसुख से लिंग रोड़ भनारा तक (3 कि0मी0 आगे तक) बहुत ही क्षतिग्रस्त है जिसे कि मुरम्मत करवाया जाना अति आवश्यक है। यदि इस सड़क को लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाता है तो सड़क की देख–रेख आसानी से की जा सकती है।

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल–2, कुल्लू, जिला कुल्लू को निर्देश दिए गए कि वे अपने स्तर पर उनके मुख्यालय व मान्नीय मन्त्री महोदय को प्रस्तावना तैयार कर प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त ए0डी0 हाईड्रो प्रोजेक्ट को भी निर्देश दिए गए कि वे भी उपरोक्त सड़क को लोक निर्माण विभाग को सौंपने सम्बन्धि कार्यवाही अमल में लाएँ।

अतः मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश से सरकार से प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध किया गया कि ए0डी0 हाईड्रो प्रोजेक्ट सड़क जगतसुख से लिंक रोड़ भनारा तक (3 कि0मी0 आगे तक) की सड़क को लोक निर्माण विभाग के अधीन करने अथवा सौंपने की अनुकम्पा करें।

(सम्बन्धित विभागः–निजी सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2/ अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल–2, कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः– 08/दिनांक 24.9.2014
श्रीमती रेश्मा ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद
<u>जल सिंचाई कुहल नगर हरीपुर से नथान पंचायत के लंराकेला गॉव तक निर्माणित कुहल में पानी की आपूर्ति करने बारेः–</u>

अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वा0 मण्डल कुल्लू ने अवगत करवाया है कि सिंचाई योजना हरिपुर नाला से नथान में पानी नगर मोड़ तक उपलब्ध है। उसके आगे भारी हिमपात व वर्षा के कारण यह कुहल जगह–जगह भूमि धंसने के कारण क्षतिग्रसत हो गई है। जहॉ तक किसानों को सिंचाई बिल देने की आपति है, इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा केवल खरीफ 2011–2012 तथा रवी 2012–13 के बकाया राशि के ही बिल दिये गये हैं जिस में केवल सात आठ किसानों ने ही भुगतान किया है। जबकि 2013–14 में कोई भी सिंचाई बिल नहीं दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख है कि कुहल के क्षतिग्रस्त होने के बाद कोई भी बिल नहीं दिया गया है। विभाग द्वारा कुहल की मुरम्मत का कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–09/दिनांक 24.9.2014
श्रीमती रेश्मा ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद
<u>भून्तर जीया लैफट बैंक से नगर पतली कुहल मनाली व वापिस मनाली, पतलीकुहल, नगर, जीया, भून्तर के लिए 3 बसें प्रातः, दोपहर व शाम को चलाने बारेः–</u>

क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प0प0नि0 कुल्लू ने अवगत करवाया है कि वर्तमान में इन रूटों पर बस सेवाओं का संचालन बसों तथा कर्मचारियों की कमी के कारण सम्भव नहीं है जबकि कुल्लू क्षेत्र के द्वारा JNNURM निति के अन्तर्गत 40

बसों की मांग की गई है जिनमें इन वर्णित रूटों का प्रस्ताव भी भेजा गया है। अतः बसों तथा कर्मचारियों की आपूर्ति होते ही उपरोक्त वर्णित मार्गों पर बस सेवाओं के संचालन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

(सम्बन्धित विभागः–क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी कुल्लू/ क्षेत्रिय प्रबन्धक हिमाचल पथ परिवहन निगम कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–10/दिनांक 24.9.2014
अध्यक्ष पंचायत समिति बन्जार
पंचायत समिति हाल के निर्माण हेतू धनराशि उपलब्ध करवाने बारेः–

सदन में अध्यक्ष पंचायत समिति बन्जार द्वारा मान्नीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि बन्जार में पंचायत समिति हाल के लिए धनराशि की आवश्यकता हैं। यदि जिला परिषद से धनराशि का प्रावधान किया जाए तो हाल का निर्माण किया जा सकता है। अतः मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अध्यक्ष पंचायत समिति बन्जार को आश्वासन दिया गया कि वे एल0ए0डी0सी0 से पंचायत समिति हाल के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान करवाएँगें।

(सम्बन्धित विभागः–अध्यक्ष , जिला परिषद कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–12/दिनांक 24.9.2014
कार्यालय जिला परिषद् कुल्लू
जिला परिषद सदन में निम्नलिखित कार्यों योजनाओं के लिए धनराशि की स्वीकृति शीर्ष 13 वां वितायोग व पी0ई0ए0आई0एस0 से की गई :–

निर्माण स्टील गेट जिला परिषद भवन के पिछे, शीट पेनलिंग, रंग–रोगन जिला परिषद भवन तथा मुरम्मत विशेष पंचायत भवन हाल के लिए 13 वां वितायोग व पी0ई0ए0आई0एस0 से से कार्य करवाएँ गए हैं। अतः मद को सर्वसम्मति से समाप्त किया गया ।

(सम्बन्धित विभागः–सचिव, जिला परिषद्, कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–13/दिनांक 24.9.2014
अध्यक्ष जिला परिषद कुल्लू
पी0ई0ए0आई0एस0 से रेस्ट हाउस कुल्लू के लिए धनराशि का समायोजन करने बारेः–

सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव को समाप्त किया गया ।

(सम्बन्धित विभागः–सचिव, जिला परिषद्, कुल्लू)

दिनांक 16 जनवरी, 2015 की जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक में पारित प्रस्ताव बारेः–

प्रस्ताव संख्याः–01/दिनांक 16.01.2015
आय–व्यय पारित करने बारेः–

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव जिला परिषद ने अवधि अक्तूबर 2014 से दिसम्बर 2014 तक के आय–व्यय का ब्यौरा सदन में प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। आय–व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

जिला परिषद के आय–व्यय का विवरण अवधि अक्तूबर 2014 से दिसम्बर 2014 तक

आय	राशि	व्यय	राशि
		निधि	
ब्याज हस्तांतरण बैंक खाता न0 54866 से 33397		वेतन सफाई कर्ता	13350
अखबार	300	जलपान	66544
हॉल का किराया	11100	विविध खर्च	9069
प्रोजेक्टर का किराया	500		
गाड़ी की निलामी	190000	विज्ञापन बिल	7447
		दूरभाष बिल	3202
बैंक व्याज		टैक्सी बिल	16860
खाता न0 23658	68680	जमानत बिजली मिटर रेस्ट हाउस जि0प0	22960
		विद्युत खर्चे	300
		वर्तन क्रय रेस्ट हाउस जि0प0	4610
		क्रय फोटो फ्रेम पोस्टर	2400
		एन0एस0डी0एल0 भत्ता	506
		यात्रा भत्ता अध्यक्ष जि0प0	10040
		दूरभाष भत्ता अध्यक्ष जि0प0	4350
		दूरभाष भत्ता सचिव जि0प0	1200
		बिजली मिटर बिल	11036
		विद्युत बिल	10402
		टैक्सी बिल की अदायगी	20080
		डाक टिकट	4500
		टोनर क्रय	32304
		डस्टविन क्रय रेस्ट हाउस जि0प0	13055
वेतन कनिष्ठ अभियन्ता	950000	वेतन कनिष्ठ अभियन्ता	776261
		वेतन कनिष्ठ आशुलिपिक	90231
		वेतन कनिष्ठ लेखापाल	56230
		चिकित्सा खर्च कनिष्ठ लेखापाल	6205

		यात्रा भता कनिष्ठ लेखापाल	6734
		चिकित्सा खर्च कनिष्ठ अभियन्ता	44665
		आयकर जमा	32000
		अग्रिम राशि वाहन चालक	4000
		अग्रिम राशि टैक्सी अध्यक्ष जि0प0 हेतू	10000
		अग्रिम राशि लेखन सामग्री	20000
वेतन कनिष्ठ अभियन्ता अनुबन्ध	350000	वेतन कनिष्ठ अभियन्ता अनुबन्ध	
		क्रय एल0ई0डी0	28990
		फर्नीचर क्रय	1183440
		रेस्ट हाउस फ्रिज	17500
		डिश टिवी	11970
योग	1570580	योग	2542441

अक्तूबर 2014 से दिसम्बर 2014 पंचायत भवन सरवरी तथा रेस्ट हाउस ढालपुर आय–व्यय

आय	**राशि**	**व्यय**	**राशि**
कमरों का किराया पं0भ0 सरवरी	143800	वेतन चौकीदार	50069
दुकानों का किराया पं0भ0 सरवरी	50547	वेतन रेस्ट हाउस कर्मचारी	17391
		ड्राईक्लीन पर खर्च	13035
कमरों का किराया रेस्ट हाउस जि0प0	37500	लेखन सामग्री बिल	21750
		दूरभाष बिल	1042
पुराने फर्नीचर के क्रय से प्राप्त राशि	2200	बिजली बिल	10090
बैंक व्याज	19914	विविध	6579
		रसोई का समान रेस्ट हाउस	12222
		वॉल स्टेड क्रय	1910
		फर्नीचर क्रय	170625
		पाईप लाईन फिटिंग रेस्ट हाउस	5509
		Auqagurad क्रय	21000
		केवल बिल	1000
		पेयजल एवं सिब्रेज बिल	1177
		अग्रिम वर्दी कर्मचारी	6000
योग	253961	योग	339399

अक्तूबर 2014 से दिसम्बर 2014 पंचायत भवन मनाली आय–व्यय

आय	राशि	व्यय	राशि
कमरों का किराया	67800	वेतन कर्मचारी	107845
		केवल बिल	2000
		फर्नीचर	15925
		विद्युत बिल	9606
		विविध	232
		पेयजल व सिब्रेज बिल	3054
		दूरभाष बिल	1020
योग	67800	योग	139682

(सम्बन्धित विभागः– समस्त पदाधिकारीगण जिला परिषद् कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–02/दिनांक 16.01.2015
अनुमानित वार्षिक बजट वितीय वर्ष 2015–16 पारित करने बारेः–

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव जिला परिषद ने वितीय वर्ष 2015 से वितीय वर्ष 2016 तक के अनुमानित वार्षिक बजट का ब्यौरा सदन में प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। अनुमानित वार्षिक वितीय वर्ष का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

जिला परिषद के अनुमानित वार्षिक बजट वितीय वर्ष 2015–16 तक

आय भाग

बजट कोड	बजट शीर्ष	पूर्व वर्ष का प्राकलित बजट	पूर्व वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राकलन	पूर्व वर्ष की वास्तविक आय	वर्ष के लिए प्राकलन बजट	टिप्प णियां
11101	01.04.2015 को निधि	0	0	0	2300000	
11102	नकद चन्दा व दान	0	0	0	0	
11103	हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन अधिरोपित और वसूल किए गए सभी कर, शुल्क,उपकर,और फीसों से	0	0	0	0	
11104	पंचायती राज निकायों के कर्मचारियों द्वारा एकत्रित धूल,गोबर, आदि और पंचायत भूमि के वृक्षों या अन्य उत्पादों के विक्रय से आय	0	0	0	0	

11105	जिला परिषद के अधीन स्वामित्व वाली सम्पति से आय	0	0	0	0	
11106	अन्य कर फीस,शुल्क आदि से	0	0	0	0	
11107	जिला परिषद के सभा कक्ष,पंचायत भवन व दुकानों से आय	2000000	0	1100000	2000000	
11108	लीज द्वारा प्राप्त आय	0	0	0	0	
11109	बचत पर ब्याज	200000	0	300000	400000	
11110	जिला परिषद की किसी अन्य अचल सम्पति से आय	0	0	0	0	
11111से 11150 तक	कार्यालय प्रबंधन अनुदान	600000	0	1115869	1500000	
11151	राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से प्राप्त सभी अनुदान					
	क) सरकार से					
	मानदेय व यात्राभता अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला परिषद सदस्य	500000	0	350000	600000	
	वेतन/यात्राभता/चिकित्सा अुनदान क0 अभियन्ता	4800000	0	3000000	5000000	
	वेतन/यात्राभता/चिकित्सा अुनदान क0 लेखापाल	350000	0	240000	400000	
	वेतन/यात्राभता/चिकित्सा अुनदान क0 आशुलिपिक	340000	0	270000	400000	
11152	विकास कार्यों व अन्य कार्यों को आबंटित निधि					
	ख) केन्द्र सरकार से 13वां वितायोग जिला परिषद	60000000	0	50000000	80000000	
	कुल योग				**92600000**	

व्यय भाग वितीय वर्ष 2015–16 जिला परिषद कुल्लू।

बजट कोड	बजट शीर्ष	पूर्व वर्ष का प्राकलित बजट	पूर्व वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट	पूर्व वर्ष का वास्तविक व्यय	वर्ष के लिए प्राकलन बजट	टिप्पणियां
21101	मानदेय / वेतन / यात्राभता / मेडिकल बिल कर्मचारी / सदस्य जि0 प0	4800000	0	3200000	6400000	
21102	मजदूरी	1015000	0	592242	700000	
21103	फोटोस्टेट मशीन क्रय	150000	0	0	150000	
21104	कार्यालय व्यय					
	1 लेखन सामग्री	70000	0	63000	90000	
	2 डाक खर्च	20000	0	15000	20000	
	3 विद्युत	150000	0	100000	200000	
	4 जल एवम सिवरेज	3000	0	2600	15000	
	5 फर्नीचर क्रय एवम मुरम्मत	100000	0	40000	150000	
	6 भोजन व जलपान	150000	0	120000	200000	
	7 दूरभाष बिल	45000	0	24000	40000	
	8 दूरभाष भता अध्यक्ष एवं सचिव जि0 प0	30000	0	23400	30000	
	9 टाईपराईटर,कम्पयूटर,फोटोस्टेट मशीन,फैक्स मशीन,डुप्लीकेटर पर व्यय	200000	0	200000	300000	
	10 यात्राभता जिला परिषद अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्य जिला परिषद	35000	0	35000	100000	
21105	वर्दियां व जूते	12000	0	12000	14000	
21106	आतिथ्य सत्कार	30000	0	28500	40000	
21107	किराया,दर,और कर	2500	0	2400	5000	
21108	मोटर वाहन मुरम्मत व तेल	300000	0	280000	300000	
21109	जिला परिषद भवन / पंचायत भवन मुरम्मत व रंग रोगन	200000	0	200000	400000	
21110	विकासात्मक कार्यों का निष्पादन 13वां वितायोग जि0 प0	50000000	0	50000000	80000000	
21111	13वां वितायोग कन्टीजेन्सी से गाड़ी सचिव जि0 प0	400000	0	335400	400000	
21112	प्रचार व विज्ञापन	20000	0	14000	20000	
21113	आबद्व कृत्यों के निष्पादन हेतू	50000	0	50000	60000	
21114	राज्य वितायोग से प्राप्त अनुदान	0	0	0	0	

21115	विविध व्यय	200000	0	150000	200000	
	31.03.2016 को शेष निधि				2766000	
	कुल योग				**92600000**	

(सम्बन्धित विभागः– समस्त पदाधिकारीगण जिला परिषद् कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या 03/दिनांक 16.01.2015
श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू

मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि वर्तमान में मनाली से हरीद्वार के लिए जो भी बसें चल रही है। वह सभी साधारण बसें ही हैं। हरिद्वार जो कि बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, ऐसे में इतना दूरस्थ क्षेत्र तय कर पाना रात्री के समय कठिन होता है। यदि रात्री के समय में बेहतर किस्म की बसों को चलाया जाए तो, आज की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में विभाग यह अवगत करवाएँ कि क्या उन द्वारा कार्यवाही की जा रही है या नहीं ? यदि हॉ तो विवरण प्रस्तुत करें यदि नहीं तो अवगत करवाएँ कि इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

क्षेत्रिय प्रबन्धक, हि0प0प0नि0 कुल्लू ने अवगत करवाया है कि उनके कार्यालय पत्र संख्या 6093 दिनांक 15.1.2015 के अनुसार अनुरोध किया गया है जिसके अन्तर्गत लिखा गया है कि, वर्तमान हिमाचल पथ के द्वारा मनाली से हरिद्वार मार्ग पर निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार साधारण बस सेवाएं संचालित की जा रही है।

क0सं0	**बस सेवा का नाम**	**प्रस्थान समय मनाली से**	**प्रस्थान समय कुल्लू से**	**क्षेत्र का नाम**
01	मनाली से टनकपुर वाया हरिद्वार	08:00	09:30	कुल्लू
02	केलंग से हरिद्वार	11:15	12:45	केलंग
03	मनाली से हरिद्वार	12:40	14:10	सुन्दरनगर
04	मनाली से हरिद्वार	14:58	16:30	कुल्लू
05	मनाली से हरिद्वार	20:30	22:30	सुन्दरनगर

उपरोक्त सन्दर्भ में सादर सूचित किया जाता है कि समय–समय पर बस अड्डा मनाली व कुल्लू तथा अद्योहस्ताक्षरी को स्थानीय लोगों व पर्यटकों के दुरभाष प्राप्त हो रहे हैं तथा मनाली से हरिद्वार व देहरादून के लिए स0सी0/वोल्वो बसों के बारे में पूछताछ व मांग की जाती रही हैं। अतः यदि मनाली से हरिद्वार के लिए वाया देहरादून के लिए कोई ए0सी0 या वोल्वो बस सेवा चलाई जाती तो निगम के आर्थिक हित में होगा जिसके लिए इस क्षेत्र को दो अतिरिक्त एस0सी0/वोल्वो बसों की कर्मचारियों सहित आवश्यकता होगी। अतः पुनः उच्च अधिकारियों से इस मामले को उठाएगें।

(सम्बन्धित विभागः–क्षेत्रिय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या 04/ दिनांक 16.01.2015
श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू

मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि वर्ष 2015–2016 के लिए मनरेगा का शैल्फ अभी तक क्यों अनुमोदित नहीं हुआ है। नए वित वर्ष के लिए मात्र तीन माह शेष है। वर्ष 2015–2016 का शैल्फ समय पर अनुमोदित न होने के कारण विकास कार्यों को सम्पन्न करवाने में बाधाएँ आ रही हैं।

इसके अतिरिक्त 13वां वितायोग की धनराशी जिला परिषद् को प्राप्त हो चुकी है। यदि मनरेगा व 13वां वितायोग की राशी का समायोजन करना हो तो परेशनियॉ उठानी पड़ रही है।

सदन में अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि विकास खण्ड कुल्लू तथा नगर से मनरेगा का शैल्फ पारित किया जा चुका है लेकिन विकास खण्ड कुल्लू, आनी तथा निरमण्ड से भी शीघ्र ही मनरेगा का शैल्फ पारित किया जाएगा तो समस्त विकास खण्डों से पारित शैल्फ को जिला परिषद में अनुमोदन/स्वीकृती हेतू रखा जाएगा।

(सम्बन्धित विभागः– परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या 05/दिनांक 16.01.2015
श्री बुद्वि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्

मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि मिनी सचिवालय के साथ के पार्किंग स्थल में वाहनों को पार्क करने हेतू धनराशी ली जा रही है। यह राशी किस मद से तथा किस योजना की तहत ली जा रही है और क्यों ? इस प्राप्त धनराशी को किस मद में जमा किया जा रहा है ?

सदन में अधिकारी द्वारा मान्नीय सदस्य को बैठक से पूर्व अवगत करवाया गया है। **अतः मान्नीय सदस्य की सहमति से प्रस्ताव को समाप्त किया गया।**

(सम्बन्धित विभागः–कार्यालय उपायुक्त कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या 06/दिनांक 16.1.2015
श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्

मलाणा परियोजना –2 का एल0ए0डी0सी0 के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशी जमा हुई है और कितना बकाया है ? किन –2 योजनाओं के लिए कितने–कितने बजट की योजनाओं को पारित किया गया है और कितनी योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है और वर्तमान स्थिति से अवगत करवाएॅ ?

मान्नीय उपायुक्त महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि मलाणा परियोजना 2 का एल0ए0डी0सी के अन्तर्गत कुल मु0 1.00 करोड़ की राशि जमा की गई है और तथा 12.59 करोड़ बकाया है। निर्माण ब्रिज मलाणा मु0 486000/–, निर्माण मलटीपर्पज भवन मलाणा मु0 6310000/–, निर्माण 15 न0 एस0पी0वी0 स्ट्रीट लाईट मलाणा 357000, सुधार डबलयू0एस0एस0 मलाणा मु0 1441000, निर्माण मलटीपर्पज भवन ढालपुर कुल्लू मु0 1406000 रूपये का खर्च किया गया ।

(सम्बन्धित विभागः–कार्यालय उपायुक्त कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या 07/दिनांक 16.01.2015
श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद

मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि अटल सदन क्या है? इससे क्या सहुलियत होगी। अटल सदन निर्माण के लिए बजट का क्या प्रावधान है। पूर्व में पैसा कहॉ से आया ?

अटल सदन एक Multi Purpose complex बनाना था जिसका शिलान्यास भूतपूर्व मुख्यमन्त्री द्वारा किया गया था। इसमें विश्राम गृह, ऑडिटोरियम, Indoor Games, दशहरा कमेटी के कार्यालय इत्यादि की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जानी थी। इस ईमारत के लिए 1 करोड़ 60 लाख रूपये की धनराशी स्वीकृत की थी, जिसमें से एक करोड़ रूपये की धनराशि लाडा से और 60 लाख रूपये की धनराशि दशहरा कमेटी से ली गई थी और 60 लाख रू0 की राशी दशहरा कमेटी को वापिस कर दी गई है। वर्तमान समय में, मान्नीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश ने अटल सदन को हि0प्र0लो0नि0वि0 को विश्राम गृह हेतू प्रस्तावित किया है जिसकी drawing वास्तुकार, शिमला द्वारा बनाई गई है और इसकी फिजीविलिटी रिर्पोट उच्च कार्यालय को भेज दी गई है और प्रारम्भिक प्राक्कलन बनाया जा रहा है।

(सम्बन्धित विभागः—कार्यालय उपायुक्त कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या 08/दिनांक 16.01.2015
श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्

क. गत वर्ष बर्फबारी के कारण बिद्युत विभाग को कितनी क्षति पहुँची है ? जिला कुल्लू में जिन गॉवों को आज तक विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, यह कब तक उपलब्ध करवाई जाएगी ? विद्युत विभाग को किस प्रकार का नुकसान हुआ है तथा किन कारणों से हुआ, अवगत करवाएँ ?

सदन में अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया है कि वर्फबारी के कारण अनुमानित 5.00 करोड़ का नुकसान हुआ है। विद्युत मण्डल कुल्लू के अधिन सभी गॉवों में बिजली आपूर्ति भेज दी गई है। शेष 4 गॉवों में अभी तक विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है (बनाउगी, पाली, गाहर, काडा) । तारें एवं पोलों के टूटने के कारण नुकसान हुआ है। यह नुकसान भारी वर्फवारी के कारण हुआ है।

ख. विभाग द्वारा ठेकेदार से लेबर सप्लाई मांगी गई थी, यदि मांगी गई थी, तो इस की अदायगी लेबर को की जायेगी या ठेकेदार को की जाएगी ?

अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि बिजली को बहाल करने के लिए विभाग द्वारा ठेकेदारों से लेबर सप्लाई मांगी गई भी तथा कार्य के प्राक्कलन अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से ही मजदूरों को लेबर अदायगी दी गई।

इसके अतिरिक्त अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि विभाग के पास कर्मचारी के रिक्त पद पड़े हैं तथा इन पदों को शीघ्र भरना अति आवश्यक है। अतः सदन में प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया गया कि विद्युत विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरा जाए तथा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे रिक्त पदों की सूचना इस कार्यालय में प्रेषित करें ताकि उसे मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

(सम्बन्धित विभागः— कार्यालय विद्युत विभाग कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या 09/दिनांक 16.01.2015
श्री ओम प्रकाश शर्मा, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्

मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि 13वें वितायोग के अन्तर्गत विकासात्मक कार्यों हेतू स्वीकृत योजनाओं का कार्य आरम्भ न करने का कारण स्पष्ट करें तथा अवगत करवाएँ कि विकास कार्य में बाधाएँ क्यों उत्पन्न की जा रही

हैं गत 4 वर्षों से स्वीकृत योजनाओं की धनराशी विकास खण्ड कुल्लू के पास है। इसे शीघ्र सम्बन्धित पंचायतों का जारी कर कार्य करवाऍं जाए ? इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करवाया जाए ?

सदन में अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ बैठक रखी जाएगी तथा उस बैठक में निर्णय लिए जाएगें।

(सम्बन्धित विभागः—खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या 10/दिनांक 16.01.2015
श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद कुल्लू
क. कुल्लू से शिलवधानी सड़क जो तेलंग होकर जा रही है। यह कब तक पूरी होगी और सरवरी पुल से शिशामाटी तक इस सड़क का काम कब तक शुरू होगी ताकि शीशामाटी में जो जाम की गम्भीर समस्या है। वह दूर हो सके।

कुल्लू से शिलवधानी सड़क जो तेलंग होकर जा रही है, अभी इस सड़क पर सोलिंग का कार्य चल रहा है जो मार्च, 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा और टायरिंग का कार्य मई, जून, 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा। सरवरी पुल से शिशामाटी तक की सड़क का कार्य जैसे ही वन विभाग से इस सड़क की स्वीकृति आएगी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा इसकी डी0पी0आर0 तैयार कर दी जाएगी।

ख.कुल्लू से तिऊन समालंग रोड़ का काम कब तक पूरा होगा। इसका समय निर्धारण किया जाये।

सदन में अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि कुल्लू से तिउन समालंग रोड़ का काम दिसम्बर, 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(सम्बन्धित विभागः—अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल—2)

प्रस्ताव संख्या :—11/दिनांक 16.01.2015
अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2011—12 व 2012—13 के अनुवर्तन बारेः—

सदन में अंकेक्षण पत्र पर विस्तार से चर्चा की गई इस सम्बन्ध में पैरा संख्या 8 जिसमें आप्पति उठाई गई है कि जिला परिषद द्वारा बजट से अधिक व्यय किया गया है। बजट जिला परिषद द्वारा ही बनाया जाता है तथा इसका अनुमोदन भी जिला परिषद द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में जिला परिषद ने वित्तीय वर्ष 2011—12 में बजट से अधिक हुए व्यय को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की तथा इस व्यय का अनुमोदन किया। इसके अतिरिक्त पैरा संख्या 6 बी जिसमें अध्यक्ष जिला परिषद के भ्रमण कार्यक्रम को सदन द्वारा अनुमोदित न किए जाने बारे आप्पति उठाई गई है। इस सम्बन्ध में सदन ने अध्यक्ष जिला परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2011—12 में किए गए 5146 कि0मी0 तथा वित्तीय वर्ष 2013—2014 में किए गए भ्रमण कार्यक्रम को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा इसका अनुमोदन सदन द्वारा किया गया।

(सम्बन्धित विभागः—कार्यालय जिला परिषद् कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः– 12/दिनांक 16.01.2015

पशुओं का चिप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाने तथा बारन घास से पशुओं को होने वाले लौचा कैंसर से बचाने के लिए बारन घास को जड़ से ही खत्म करने बारे :–

(CWP No 6631/2014-Bhartiya Govansh Rakshan Parishad H.P. Vs. state of H.P. & other) सचिव जिला परिषद ने मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त केस के संदर्भ में दिए गए निर्णय को सदन में बिन्दुवार विस्तार से पढ़कर सुनाया तथा जिला परिषद सदस्यों को पारित निर्णय के संबध में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने से अवगत करवाया। इस सबंध में सदन में चर्चा की गई कि मान्नीय उच्च न्यायलय द्वारा दिए गए निर्णय का वे सम्मान करते हैं और इसकी अनुपालना में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिला परिषद सदस्य अपने वार्ड की ग्राम पंचायतों में जाकर गौसदन निर्माण हेतू जमीन व अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने बारे विस्तार में चर्चा करेंगे। गौसदन निर्माण हेतू यदि ग्राम पंचायत को धनराशि की आवश्यकता रहती है तो जिला परिषद सदस्य 13वां वितायोग से गौसदन निर्माण हेतू बजट का प्रावधान करेंगे।

सदन में चर्चा की गई कि जिला कुल्लू में अधिकतर जो आवारा पशु हैं वे अधिकतर नकारा हैं लोक नकारा होने पर पशुओं को खुला छोड़ देते हैं जो कि निदंनीय है और इनको पहचाचना मुश्किल है, क्योंकि पशुओं की पहचान हेतू जो टैगिंग की जा रही है लोग पशुओं के कान काटकर या अन्य तरीके से टैंग निकालकर पशुओं को अवारा छोड़ रहे हैं। इस बीच पशुपालन विभाग से बैठक में उपस्थित डा0 संजीव पाल ने अवगत करवाया कि यदि पशुओं का पंजीकरण टैग के बजाय चिप के माध्यम से किया जाए तो यह अधिक बेहतर रहेगा क्योंकि टैग को लोग पशुओं के कान काटकर तक निकाल रहे हैं और पशुओं को सड़कों पर अवारा छोड़ रहे हैं। इस चिप से पशुओं को पहचानने में बहुत आसानी होगी क्योंकि चिप लगाने से लोग पशुओं को अवारा या खुला छोड़ने से डरेंगे। इस चिप की कीमत लगभग 150/– रू0 प्रति चिप है।

इसके अतिरिक्त डा0 संजीव ने सदन में Power Point Presentation दी जिसमें उन्होंने दिखाया कि जिला कुल्लू में अधिकतर गाय लौंचा (कैंसर) रोग से पिड़ित है तथा यह कैंसर पशुओं को बारन घास खाने के कारण हो रहा है। रोग से ग्रसित गाय के दूध पीने पर इसका बुरा प्रभाव मनुष्य के शरीर पर भी पड़ता है। इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए इस तरह की घास पशुओं को न दें तथा इस तरह की घास को खेतों व जंगलों से पूर्ण रूप से नष्ट करना होगा। इस सबंध में आम जनता को अवगत करवाएँ तथा विभाग को सहयोग प्रदान करें ताकि पशुओं को इन रोगों से बचाया जा सके इससे लोग पशुओं को खुला छोड़ना कम कर देगें। डा0 संजीव द्वारा विस्तार से दी गई इस संस्तुति की उपस्थिति सभी सदस्यों एवं उपस्थित अधिकारियों ने भरसक सराहना की । इस सम्बन्ध में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/समस्त सदस्य जिला परिषद ने प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मन्त्री महोदय पंचायती राज विभाग हि0प्र0 से आग्रह किया कि पशुओं के पंजीकरण करने हेतू चिप पर जो व्यय होना है उस व्यय हेतू 13वां वितायोग से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(सम्बन्धित विभागः– समस्त पदाधिकारीगण/ अध्यक्ष नगर परिषद् कुल्लू तथा मनाली, अध्यक्ष नगर पंचायत भून्तर तथा बन्जार/ समस्त कार्यालयाध्यक्ष जिला कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः– 13/दिनांक 16.01.2015
श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू
<u>मिट्टी का तेल ऑपन बंजारों में बेचा जाने बारेः–</u>

सदन में मान्नीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि कुल्लू, मनाली तथा बन्जार जैसे शहरी क्षेत्रों में मिट्टी का तेल ऑपन बेचा जाना चाहिए जिससे कि स्थानीय जनता की पेशानियों को कम किया जा सके। अभी तक यह सरकारी डिपो में ही उपलब्ध होता है।

मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला नियन्त्रक एवं खाद्य आपूर्ति नियन्त्रण विभाग को निर्देश दिए गए कि वे मिटटी के तेल को ऑपन कुल्लू, मनाली तथा बन्जार में बेचें तथा सूचना इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

(समबन्धित विभागः–जिला नियन्त्रक खाद्य आपूर्ति एवं निगम कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–14/दिनांक 16.01.2015
समस्त पदाधिकारीगणः–
<u>पंचायत भवन सरवरी को मार्च तक ऑगशन करने बारेः–</u>

जिला परिषद द्वारा संचालित किए जा रहे तीनों पंचायत भवन का गत तीन वर्षों का हिसाब सदन में प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पंचायत भवन मनाली व पंचायत भवन सरवरी से जिला परिषद को जो आय प्राप्त हो रही है व्यय उससे अधिक है। जिस कारण जिला परिषद द्वारा पंचायत भवन के संचालन हेतू नियुक्त किए गए कर्मचारियों को वेतन प्रदान करने में मुश्किल आ रही है। जिला परिषद ने सरवरी बाजार कुल्लू में एक हाल का निर्माण किया है। इस हाल के निर्माण पर मु0 25 लाख रू0 की राशि व्यय की गई है। इस संबध में जिला परिषद ने सचिव जिला परिषद को अधिकृत किया कि इस हॉल को यदि कोई बैंक दिनांक 20.2.2015 तक किराए पर लेने के लिए आवेदन करता है तो उसे किराए पर देने की प्रक्रिया आरम्भ की जाए अन्यथा इस हाल की नीलामी हेतू आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए। सचिव जिला परिषद ने सदन को अवगत करवाया कि नीलाम करने हेतू निदेशक पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है कि नीलम करने हेतू कमेटी में सदस्य कौन–कौन होंगे परन्तु अभी तक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। जिला परिषद ने निर्णय लिया कि यदि नीलाम करने हेतू कमेटी बारे दिनांक 20.2.2015 तक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में अन्य जिलों की तरह पंचायत भवन कमेटी को नीलामी करने हेतू अधिकृत किया जाता है। सचिव जिला परिषद को इसकी प्रक्रिया आरम्भ करने हेतू अधिकृत किया जाता है।

(सम्बन्धित विभागः– निदेशक पंचायती राज शिमला–9/सचिव पंचायती राज विभाग शिमला–2)

प्रस्ताव संख्याः–15/दिनांक 16.01.2015
श्री हरि चन्द शर्मा, अध्यक्ष जिला परिषद कुल्लू
<u>ग्राम पंचायत पोशना में व्यक्तिगत डिपू को कृषि सहकारी समिति के नाम हस्तांतरण करने बारेः–</u>

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत पोशना के ब्रौ में व्यक्तिगत डिपू को कृषि सहकारी समिति के नाम हस्तांतरण किया जाना आवश्यक है। अतः मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला खाद्य नियन्त्रक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू को निर्देश दिए गए कि वे उपरोक्त डिपू का नाम परिवर्तित करें।

(सम्बन्धित विभागः–खाद्य निन्यत्रक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या:—16/दिनांक 16.01.2015

<u>13वां वितायोग के अन्तर्गत योजनाओं को परिवर्तित करने बारे:—</u>

मान्नीय सदस्यों द्वारा 13वां वितायोग के अन्तर्गत योजनाओं को परिवर्तित करने के लिए योजनाऍ प्रस्तुत की गई जिन्हें सदन द्वारा सर्वसम्मति से परिवर्तित किया गया :—

<u>विकास खण्ड कुल्लू</u>

क0 सं0	पूर्व में स्वीकृत कार्ययोजना का नाम	ग्राम पंचायत	राशि	वर्तमान में परिवर्तित योजना का नाम	ग्राम पंचायत	धनराशी
01	1. निर्माण शौचालय तेजी गॉव क्याणी के घर के पास	मनीकरण	20000	1.डी0जी0 सेट 25 के0वी0ए0 पी0एच0सी0 जरी के लिए	जरी	395000
	2. मुरम्म्त वावडी रोड़ा गौड़ा रतोचा	रतोचा	25000	2.निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक दीप कुमार शाट	शाट	40000
	3. मुरम्मत सड़क औझरी देऊगरा तक	भ्रैण	100000			
	4. मुरम्मत खेल मैदान महादेव युवक मण्डल भवन गॉव चौकी	कसोल	70000	3. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक शेर सिंह गॉव शाट	शाट	40000
	5. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक राम कृष्ण पुत्र धनी राम गॉव गनाखला	दनोगी	20000	4. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक मोहर सिंह गॉव वणाशा	पीणी	40000
	6. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक राम नाथ पुत्र दिलू शाड़ गॉव टिपरी	दनोगी	20000	5. निर्माण सार्वजनिक शौंचालय नजदीक नरेश उर्फ नारायण पुत्र गोपी चन्द गॉव फागू (पैनी)	चौंग	40000
	7. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक नाथू राम पुत्र देवू शाड़ टिपरी	दनोगी	20000			
	8. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक दुनी चन्द पुत्र नन्दू गॉव ब्राधा	ब्राधा	20000			
	9.निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक कायथ बेहड़ ठाकुर दास के घर के पास गॉव दनोगी	दनोगी	20000			
	10. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक चमल लाल पुत्र लाल चन्द गॉव शाहण	दनोगी	20000			
	11. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक जय चन्द पुत्र शुद्व नाथ अ0जा0 गॉव छमाहण	दनोगी	20000			
	12. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक गिरीधारी लाल पुत्र नुप राम गॉव जडोरा (छमाहण)	दनोगी	20000			

	13. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक राम कृष्ण पुत्र खौरा राम गॉव दनोगी	दनोगी	20000			
	14. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक मिनू राम पुत्र जेजू राम अ0जा0 गॉव पटाधी	ब्राधा	20000			
	15. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक तुले राम पुत्र रूमी अ0जा0 गॉव जॉं	ब्राधा	20000			
	16. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक हरी चन्द पुत्र उतमु राम अ0जा0 ढुजूं (गनाखला)	दनोगी	20000			
	17. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक भोलू पुत्र पैनू अनु0जा0 गॉव छमाहण	दनोगी	20000			
	18. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक तीर्थू राम पुत्र लोतम राम गॉव टिपरी	दनोगी	20000			
	19 निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक गोविन्द (गोपाल) पुत्र जीत राम गॉव छाशणी	दनोगी	20000			
	20.शौचालय नजदीक दीना नाथ पुत्र पुर्खु गॉव छमाहण (राहनाला)	दनोगी	20000			
	21. निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक जगर नाथ पुत्र थरी लाल गॉव छमाहण (खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू के कार्यालय पत्र संख्या 5512 दिनांक 1.1. 2015)	दनोगी	20000			
02	निर्माण सार्वजनिक शौचालय श्री धर्म चन्द पुत्र चुने राम के घर के नजदीक गॉव शागचंण (दिनांक 27.10.2014 जिला परिषद विशेष बैठक)	ब्राधा	40000	निर्माण सार्वजनिक शौचालय श्री छपू राम पुत्र नोलू राम गॉव ब्राधा	ब्राधा	40000

एस0एम0सी0

क0 सं0	पूर्व में स्वीकृत कार्ययोजना का नाम	ग्राम पंचायत	राशि	वर्तमान में परिवर्तित योजना का नाम	ग्राम पंचायत	धनराशी
01	निर्माण वर्षा भण्डारण टैंक राज0व0मा0पा0 सैंज में (एस0एम0सी0) विकास खण्ड बन्जार	लारजी	175000	निर्माण वर्षा भण्डारण टैंक राज0व0मा0पा0 सैंज में (एस0एम0सी0) विकास खण्ड कुल्लू	रैला	175000
02	निर्माण रेन शैल्टर रा0व0मा0 वि0 मनाली में (एस0एम0सी0)	मनाली	100000	निर्माण रेन शैल्टर रा0व0मा0 वि0 मनाली में (एस0एम0सी0)	मनाली	100000

विकास खण्ड नगर

क0 सं0	पूर्व में स्वीकृत कार्ययोजना का नाम	ग्राम पंचायत	राशि	वर्तमान में परिवर्तित योजना का नाम	ग्राम पंचायत	धनराशी
01	निर्माण लिंक रोड़ छेटी पांदे से रोशन लाल के घर तक गॉव जगतसुख **(दिनांक जिला परिषद विशेष बैठक 27.10.2015 क0सं0 57 विकास खण्ड नगर)**	जगतसुख	150000	निर्माण कंकरीट पक्की सड़क नरेश महन्त के घर से रोशन व नरेन्द्र के घर तक	जगतसुख	150000
02	निर्माण सड़क ज्वाणी बेहड़ गॉव बुरूआ में	बुरूआ	100000	निर्माण पक्की/कंकरीट सड़क उजली बेहड़ वार्ड न0 02 में	बुरूआ	100000
03	निर्माण जीप योग्य सड़क मरीना विला से प्रेमनाथ के खेत तक गॉव शुरू	शुरू	286000	निर्माण जीप योग्य सड़क मरीना विला से प्रेमनाथ के खेत तक गॉव शुरू	प्रीणी	286000

विकास खण्ड बन्जार

क0 सं0	पूर्व में स्वीकृत कार्ययोजना का नाम	ग्राम पंचायत	राशि	वर्तमान में परिवर्तित योजना का नाम	ग्राम पंचायत	धनराशी
01	मुरम्मत सामुदायिक भवन गॉव मठियाणा	चनौन	70000	सामुदायिक भवन गॉव मठियाणा अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतू	चनौन	70000
02	मुरम्मत जीप योग्य सड़क ओड़ीधार से गॉव कोटला तक	कोटला	300000	वाईडनिंग जीप योग्य सड़क ओड़ीधार से गॉव कोटला तक	कोटला	300000

(सम्बन्धित विभागः– समस्त खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या :–17/दिनांक 16.01.2015
श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद् कुल्लू
मनाली से सोलन हेतू सीधी बस सेवा उपलब्ध करवाने बारेः–

सदन में मान्नीय उपाध्यक्षा जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि मनाली से सोलन के लिए निगम की या निजी कोई भी सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है जबकि सोलन में कुल्लू/मनाली जिला कुल्लू के बहुत से विधार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा उन्हें पहले कुल्लू/मनाली से शिमला तथा शिमला से सोलन के लिए बस सेवा लेनी पड़ती है जिस कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः एक निगम की बस सेवा मनाली से सोलन के लिए सीधी चलाई जाए ? क्षेत्रिय प्रबन्धक, हि0प0प0नि0 कुल्लू ने अवगत करवाया है कि उनके प्रबनधक निदेशक, महोदय को उनके विभाग द्वारा उनके कार्यालय पत्र संख्या 6214 दिनांक 17.1.2015 द्वारा अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रस्ताव के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला से सदन द्वारा अनुरोध किया गया कि वे उपरोक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने की अनुकम्पा करें ।

(सम्बन्धित विभागः–प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला/ क्षेत्रीय प्रबन्धक हि0प0प0निगम कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या :–18/दिनांक 16.01.2015
यात्रा भत्ता का बिल पारित करने बारेः–

सदन में श्री तेज राम, मान्नीय सदस्य जिला परिषद द्वारा यात्रा भत्ता के बिल मु0 6262/– रूपये के प्रस्तुत किए गए जिसे कि सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(सम्बन्धित विभागः–जिला परिषद कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या :–19/दिनांक 16.01.2015
निर्माण ट्रैक्टर रोड़ पक्का सेस राम के घर से गोपाल राम के घर तक :–

सदन में मान्नीय सदस्य जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि निर्माण ट्रैक्टर रोड़ पक्का सेस राम के घर से गोपाल के घर तक की योजना का कार्य करवाने हेतू प्रधान द्वारा लक्ष्मी विकास समिति हाट को कार्य योजना का निर्माण करने हेतू एन0ओ0सी0 दी गई है। अतः मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे इस योजना का निर्माण कार्य नियमों व नितियों की अन्तर्गत करवाएँ।

(सम्बन्धित विभागः–खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या :–20/दिनांक 16.01.2015
अध्यक्ष जिला परिषद
गैरेज निर्माण करने बारे :–

सदन में मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला परिषद भवन में गैरेज पुराना हो चुका है जिसका कि पक्का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में तैयार प्राक्कलन अनुसार पी0ई0ए0आई0एस0 ईनाम से प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत इसका निर्माण किया जाए। अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा सचिव जिला परिषद को गैरेज निर्माण हेतू आगामी कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

(सम्बन्धित विभागः सचिव जिला परिषद, कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः—21/दिनांक 16.01.2015
समस्त पदाधिकारीगण
<u>ज्ञानवर्धन भ्रमण कार्यक्रम हेतू स्वीकृति प्रदान करने बारेः—</u>

सदन में चर्चा उपरान्त अवगत करवाया गया कि जिला परिषद कुल्लू ने लगातार तीन बार पंचायत सशक्तीकरण एवं जबावदेह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए ईनाम राशि प्राप्त की है। दिनांक 15 अगस्त 2014 को मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय हि0प्र0 सरकार के कर कमलों द्वारा जिला परिषद कुल्लू को उत्कृष्ट कार्यों के लिए मु0 01 लाख रू0 की राशि ईनाम के रूप में प्रदान की गई है। सदन में इस बारे गहन चर्चा हुई । सदन ने निदेशक महोदय पंचायती राज विभाग से प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध किया है कि जिला परिषद कुल्लू के समस्त सदस्यों व स्टाफ को भारत भ्रमण पर जाने की अनुमति दी जाए तथा इस भ्रमण हेतू व्यय करने की स्वीकृति जिला परिषद निधि या पंचायत सशक्तीकरण एवं जबावदेह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्राप्त ईनाम राशि में से खर्च करने की अनुमति दी जाए। भविष्य में यदि आर0जी0पी0एस0ए0 से ज्ञानवर्धक भ्रमण (Exposure Tour) हेतू राशि प्राप्त होती है तो निधि से व्यय की गई राशि की उसमें से क्षतिपूर्ति कर ली जाएगी।

(सम्बन्धित विभागः—निदेशक पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—9)

प्रस्ताव संख्याः—22/दिनांक 16.01.2015
<u>Rainbow enterprises outsource के माध्यम से पंचायत भवन मनाली में रखे गए कर्मचारियों के बारे मेंः—</u>

Rainbow enterprises outsource के माध्यम से पंचायत भवन मनाली में कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इस कम्पनी के साथ एक वर्ष का अनुबंध था। इस अनुबंध को एक वर्ष आगे तक बढ़ाने की जिला परिषद कार्योतर स्वीकृति प्रदान करती है।

(सम्बन्धित विभागः—सचिव जिला परिषद कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः—23/दिनांक 16.01.2015
समस्त पदाधिकारीगण
<u>कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतू बायोमैट्रिक मशीन क्रय करने हेतू स्वीकृति प्रदान करने बारेः—</u>

सदन में चर्चा की गई कि कार्यालय में कर्मचारियों की उपथिति दर्ज करने हेतू बायोमैट्रिक मशीन लगाना आवश्यक है ताकि अनुशासन बना रहे तथा उपस्थिति दर्ज करने में पारदर्शिता रहे। अतः सदन में प्रस्ताव के माध्यम से निदेशक पंचायती राज महोदय से अनुरोध है कि इस मशीन को लगाने व क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करें।

(सम्बन्धित विभागः—निदेशक पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—9)

प्रस्ताव संख्याः—24/दिनांक 16.01.2015
समस्त पदाधिकारीगण
<u>जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में मुरम्मत कार्य करवाने बारेः—</u>

जिला पंचायत अधिकारी ने सदन में अवगत करवाया कि कार्यालय की मुरम्मत हेतू निदेशालय से राशि स्वीकृत हुई है। इस कार्य को हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग से करवाना उचित नहीं होगा क्योंकि राशि का 15 प्रतिशत ठेकेदार

के लाभ के लिए रखा जाता है। इसके विपरीत पंचायती राज विभाग में स्वीकृत राशि का 15 प्रतिशत ठेकेदार के लाभ हेतू नहीं रखा जाता है। विकास खण्डों में जो तकनीकी स्टाफ है व जिला परिषद के अधीन है। इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा की गई तथा पारित किया गया कि इस राशि को जिला परिषद के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाए तथा इस कार्य की तकनीकी देखरेखहेतू क0 अभियन्ता, विकास खण्ड कुल्लू श्री देवराज को अधिकृत किया जाता है। यह सारा मुरम्मत कार्य जिला परिषद की निर्माण कमेटी की देखरेख में होगा। यह कमेटी समय –समय पर इस कार्य का निरीक्षण करेगी तथा अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।

(सम्बन्धित विभागः–खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू/
श्री देवराज, कनिष्ठ अभियन्ता, विकास खण्ड कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–25/दिनांक 16.01.2015
<u>पंचायत घर जलूग्रां को गिराने की स्वीकृति प्रदान करने बारेः–</u>

सदन में पंचायत घर जलूग्रां की तकनीकी रिर्पोट बारे चर्चा की गई। सबन्धित कनिष्ठ अभियन्ता ने इसकी Book Value मु0 133262/– रूपये आंकी है तथा ग्राम पंचायत ने इसको गिराने की स्वीकृति हेतू प्रस्ताव जिला परिषद को प्रेषित किया है। सदन में इस पर विस्तार से चर्चा की तथा गिराने की स्वीकृति प्रदान की है।

(सम्बन्धित विभागः–खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू)

अन्त में श्री हरि चन्द शर्मा, मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद द्वारा सदन में उपस्थित उपाध्यक्षा व समस्त गणमान्य सदस्यों एवं विभागीय अधिकारियों का बैठक में उपस्थित होने के लिए तथा सहयोग के लिए धन्यवाद किया गया।

भवदीय,

हस्ता/–
सचिव,
जिला परिषद, कुल्लू,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

पृ0संख्याः–3783–3888 **दिनांकः 13 फरवरी, 2015**
प्रतिलिपिः–

1. श्री राम स्वरूप जी, मान्नीय सांसद मण्डी संसदीय क्षेत्र, गॉव व डाकघर जलपेहर तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी।
2. श्री महेश्वर सिंह जी, मान्नीय विधायक कुल्ल, विधान सभा क्षेत्र।
3. श्री कर्ण सिंह, जी, मान्नीय विधायक बन्जार विधान सभा क्षेत्र ।
4. श्री गोविन्द ठाकुर जी, मान्नीय विधायक मनाली, विधान सभा क्षेत्र ।
5. श्री खुब राम जी, मान्नीय विधायक आनी, विधान सभा क्षेत्र ।
6. श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद् कुल्लू।
7. समस्त सदस्य जिला परिषद् कुल्लू।
8. समस्त मान्नीय अध्यक्ष, पंचायत समिति जिला कुल्लू।

9. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 शिमला–9 की सेवा में सूचनार्थ।
10. उपायुक्त महोदय कुल्लू जिला कुल्लू की सेवा में सूचनार्थ।
11. पुलिस अधीक्षक, कुल्लू जिला कुल्लू।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् एवं जिला दण्डाधिकारी, कुल्लू।
13. महा प्रबन्धक, एलायन दुहांगन, हाईड्रो प्रोजैक्ट, प्रीणी, डा0 प्रीणी तह0 मनाली जिला कुल्लू।
14. महा प्रबन्धक, मलाणा फेस–1, गांव चौकी, डा0 जरी, तह0 व जिला कुल्लू।
15. महा प्रबन्धक, मलाणा फेस–2, विद्युत परियोजना प्लांट, पॉवर हाउस साईट, गॉव चौकी नजदीक जरी जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।
16. महा प्रबन्धक, एनएचपीसी, स्टेज–2 पार्वती काम्पलैक्स, नगवाई, जिला मण्डी।
17. महा प्रबन्धक, एनएचपीसी, स्टेज–3 पार्वती काम्पलैक्स, बिहाली पोस्ट लारजी, मण्डी।
18. महाप्रबन्धक, रामपुर प्रोजैक्ट, एसजेवीएनएल, झाकड़ी जिला शिमला।
19. उप–मण्डल अधिकारी (ना0) कुल्लू, मनाली, आनी तथा बन्जार।
20. अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कुल्लू मण्डल प्रथम व द्वितीय एवं निरमण्ड।
21. अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0।
22. अधिशाषी अभियंता, विद्युत विभाग कुल्लू मण्डल कुल्लू, आनी एवं मनाली।
23. अधिशाषी अभियंता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग मण्डल आनी, शमशी व कुल्लू।
24. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल आनी, सराज, पार्वती व कुल्लू।
25. वन मण्डल अधिकारी (वन्य प्राणी) मण्डल शमशी एवं कुल्लू ।
26. वन मण्डल अधिकारी, मिड हिमालय जलागम परियोजना कुल्लू तथा रामपुर।
27. परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कुल्लू।
28. अरण्यपाल, वन विभाग कुल्लू।
29. अरण्यपाल, जी0एच0एन0पी0 शमशी जिला कुल्लू।
30. वरिष्ठ प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटिड शाड़ावाई भून्तर एच0पी0टी0सी0एल0 शाड़ावाई जिला कुल्लू।
31. महाप्रबन्धक, सैंज हाईड्रोपॉवर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश पॉवर निगम लिमिटेड मण्डल, शाढ़ावाई भून्तर तहसील भून्तर जिला कुल्लू।
32. लारजी हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट शाड़ावाई, जिला कुल्लू।
33. प्रबन्धक, पार्वती ट्रानसमिशन लिमिटिड हाथीथान जिला कुल्लू।
34. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू।
35. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा व उच्च शिक्षा कुल्लू।
36. जिला योजना अधिकारी, कुल्लू।
37. जिला राजस्व अधिकारी, कुल्लू।
38. उप निदेशक उद्यान, विभाग कुल्लू।
39. उप निदेशक, कृषि विभाग कुल्लू।
40. जिला कल्याण अधिकारी, कुल्लू।
41. जिला आयुर्वेदा अधिकारी, कुल्लू।
42. जिला लोक सर्म्पक अधिकारी, कुल्लू।
43. जिला भू–संरक्षण अधिकारी, कुल्लू तथा रामपुर।

44. जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, कुल्लू।
45. जिला भाषा अधिकारी, कुल्लू।
46. खण्ड विकास अधिकारी, निरमण्ड, आनी, बन्जार, नगर व कुल्लू।
47. सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, कुल्लू।
48. मण्डलीय प्रबन्धक, वन निगम कुल्लू तथा रामपुर।
49. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कुल्लू।
50. अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग लोक निर्माण विभाग पण्डोह जिला मण्डी।
51. सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग लोक निर्माण विभाग उप मण्डल कटराई डा0 कटराई ज़िला कुल्लू।
52. जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, जरड़ ज़िला कुल्लू।
53. क्षेत्रिय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, कुल्लू तथा रामपुर।
54. उप–निदेषक, पशु पालन विभाग, कुल्लू।
55. जिला प्रबन्धक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम कुल्लू।
56. परियोजना अधिकारी, हिम ऊर्जा कुल्लू।
57. जिला मत्स्य अधिकारी, कुल्लू।
58. नगर एवं ग्राम योजनाकार मण्डलीय नगर योजना कार्यालय कुल्लू।
59. क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी कुल्लू।
60. आदेशक गृह रक्षक सातवीं वाहिनी, कुल्लू।
61. जिला कार्यक्रम अधिकारी कुल्लू।
62. जिला पर्यटन अधिकारी मनाली ज़िला कुल्लू।
63. सहायक अभियन्ता, आवास व शहरी विकास प्राधिकरण कुल्लू।
64. जिला साख्यिकी अधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू।
65. सचिव, कृषि उत्पाद मण्डी समिति कुल्लू जिला कुल्लू।
66. खेल अधिकारी, कुल्लू।
67. अधिशाषी अभियन्ता, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बदाह कुल्लू।
68. क्षेत्रिय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम मण्डी।

हस्ता/–
सचिव,
जिला परिषद, कुल्लू,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)